पिलर 3 प्रकटीकरण (समेकित) 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार

डीएफ़-1: लागू करने का कार्यक्षेत्र

"भारतीय स्टेट बैंक मूल कंपनी है, जिस पर बासेल III मानदंड लागू होते हैं। इस समूह के समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित नियामक मानदंडों, निर्देशों और दिशानिर्देशों, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के वैधानिक दिशानिर्देशों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम 1996, कंपनी अधिनियम 2013, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक और भारत में प्रचलित लेखा सामान्य व्यवहार शामिल हैं।"

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण:

क) समूह के उन निकायों की सूची, जिन्हें 31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए समेकन हेतु विचार किया गया है

निम्नलिखित अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों को शामिल कर एसबीआई समूह के समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

क्र. सं.	इकाई का नाम	देश, जहां निगमन हुआ	क्या इकाई समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण	यदि केवल एक कार्यक्षेत्र के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें
1	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
2	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
3	एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
4	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
5	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लिमिटेड	सिंगापुर	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
6	एसबीआई डीएफ़एचआई लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
7	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
8	एसबीआई ग्लोबल फ़ैक्टर्स लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
9	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
10	एसबीआई- ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
11	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
12	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	इकाई का नाम	देश, जहां निगमन हुआ	क्या इकाई समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण	यदि केवल एक कार्यक्षेत्र के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें
13	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड	मॉरिशस	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
14	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
15	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफ़ोर्निया)	यूएसए	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
16	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
17	कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को	रूस	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
18	एसबीआई (मॉरीशस) लिमिटेड	मॉरिशस	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
19	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
20	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	नेपाल	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
21	नेपाल एसबीआई मर्चेंट बैंकिंग लिमिटेड	नेपाल	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
22	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड	बोत्सवाना	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
23	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा	ब्राज़ील	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
24	भारतीय स्टेट बैंक (यूके) लिमिटेड	यूके	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
25	एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं है	लागू नहीं	गैर-वित्तीय अनुषंगी: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
26	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा संयुक्त उद्यम: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
27	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा संयुक्त उद्यम: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं

क्र. सं.	इकाई का नाम	देश, जहां निगमन हुआ	क्या इकाई समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण	यदि केवल एक कार्यक्षेत्र के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें
28	सी-एज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय संयुक्त उद्यम: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
29	एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
30	एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय संयुक्त उद्यम: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
31	मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लिमिटेड	सिंगापुर	हाँ	एएस 27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
32	मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	बरमूडा	हाँ	एएस 27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
33	ओमान इंडिया जॉइंट इनवेस्टमेंट फंड- मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
34	ओमान इंडिया जॉइंट इनवेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
35	जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
36	आंध्रप्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
37	अरूणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
38	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं

क्र. सं.	इकाई का नाम	देश, जहां निगमन हुआ	क्या इकाई समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण	यदि केवल एक कार्यक्षेत्र के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें
39	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
40	मेघालय ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
41	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
42	मिजोरम ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
43	नागालैंड ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
44	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
45	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
46	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
47	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
48	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
49	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं

क्र. सं.	इकाई का नाम	देश, जहां निगमन हुआ	क्या इकाई समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण	यदि केवल एक कार्यक्षेत्र के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें
50	द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
51	यस बैंक लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
52	बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड	भूटान	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
53	इन्वेस्टेक कैपिटल सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं

ख. 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार समूह की उन इकाइयों की सूची, जिन्हें लेखांकन और विनियामक दोनों कार्यक्षेत्र के तहत समेकन के लिए विचार नहीं किया गया है

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	देश, जहां निगमन हुआ	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	इकाई के पूंजीगत लिखतों में बैंक के निवेशों को विनियामक द्वारा मान्यता	कुल तुलन पत्र आस्तियां (जैसा कि विधिक इकाई के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)
1	एसबीआई फाउंडेशन	भारत	कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अलाभकारी कंपनी	107.07	99.72%	विनियामक पूंजी से कटौती	107.18
2	एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड	भारत	परिसमापन के तहत	लागू नहीं	26.00%	जोखिम भारित	लागू नहीं

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

ग. 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार विनियामक समेकन में शामिल समूह इकाइयों की सूची

समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र के तहत शामिल समूह इकाइयों की सूची निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	देश, जहां निगमन हुआ	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है) $	कुल तुलन पत्र आस्तियां (जैसा कि विधिक इकाई के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	टिप्पणियां
1	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	मर्चेंट बैंकिंग और सलाहकारी सेवाएँ	2,380.73	2,458.09	
2	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज़ लिमिटेड	भारत	सिक्युरिटीज़ ब्रोकिंग एवं इसकी सहायक सेवाएँ तथा वित्तीय उत्पादों का अन्य पक्ष को वितरण	800.69	1,856.94	
3	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	भारत	कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप गतिविधियाँ	150.80	153.16	
4	एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड	भारत	वेंचर कैपिटल फंड के लिए आस्ति प्रबंधन कंपनी	137.71	149.21	
5	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लिमिटेड	सिंगापुर	व्यवसाय एवं प्रबंधन परामर्श सेवाएँ	59.46	59.88	04.05.2021 को मर्चेंट बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया गया। (परिसमापन प्रक्रिया के तहत)
6	एसबीआई डीएफ़एचआई लिमिटेड	भारत	सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक विक्रेता	1,297.05	12,677.90	
7	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए ट्रस्टीशिप सेवाएँ	39.53	39.65	
8	एसबीआई ग्लोबल फ़ैक्टर्स लिमिटेड	भारत	फैक्टरिंग सेवाएँ	374.48	1,199.68	
9	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	भारत	उन्हें आवंटित एनपीएस ट्रस्ट की आस्तियों का प्रबंधन और एनपीएस ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग के लिए पीओपी के रूप में कार्य करना	96.09	101.12	
10	एसबीआई पेमेंट्स सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	कैशलेस/डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने वाले मर्चेंट अक्वाइरिंग बिजनेस से संबंधित भुगतान समाधान	1,456.50	1,977.72	
11	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए आस्ति प्रबंधन सेवाएँ	3,395.43	3,524.72	
12	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) लिमिटेड	मॉरिशस	निवेश प्रबंधन सेवाएँ	2.42	4.20	

क्र. सं.	इकाई का नाम	देश, जहां निगमन हुआ	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है) $	कुल तुलन पत्र आस्तियां (जैसा कि विधिक इकाई के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	टिप्पणियां
13	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेस लिमिटेड	भारत	क्रेडिट कार्ड व्यवसाय	7,299.38	34,239.38	
14	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज़ सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	अभिरक्षा एवं निधि लेखा सेवाएँ	363.03	930.15	
15	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफ़ोर्निया)	यूएसए	बैंकिंग सेवाएँ	1,154.10	7,465.21	
16	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	बैंकिंग सेवाएँ	1,005.80	8,305.05	
17	कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को	रूस	बैंकिंग सेवाएँ	215.91	506.21	
18	एसबीआई (मॉरीशस) लिमिटेड	मॉरिशस	बैंकिंग सेवाएँ	1,159.82	8,164.75	
19	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	बैंकिंग सेवाएँ	1,134.73	2,964.29	
20	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	नेपाल	बैंकिंग सेवाएँ	1,043.71	9,774.59	
21	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड	यूके	बैंकिंग सेवाएँ	2,482.62	17,729.18	
22	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड	बोत्सवाना	बैंकिंग सेवाएँ	-	-	30.06.2021 को बैंकिंग लाइसेंस अभ्यर्पण और 07.09.2021 को कंपनी को अपंजीकृत कर दिया गया।
23	स्टेट बैंक ऑफ सर्विकोस लिमिटाडा, ब्राज़ील	ब्राज़ील	प्रतिनिधि कार्यालय सेवाएँ	2.23	2.29	
24	नेपाल एसबीआई मर्चेंट बैंकिंग लिमिटेड	नेपाल	मर्चेंट बैंकिंग और सलाहकार सेवाएँ	17.29	18.38	

$ इक्विटी पूंजी, आरक्षित और अधिशेष शामिल हैं

घरेलू इकाईयों के मामले में आईजीएएपी के अनुसार और विदेशी इकाईयों के मामले में संबंधित स्थानीय विनियमों के अनुसार

(घ) सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि जो विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं हैं, अर्थात् जो घटा दी गई है:

अनुषंगियों का नाम/ उस देश का नाम, जहाँ निगमन हुआ है	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूँजी की कमी
निरंक				

(ङ) बीमा इकाईयों में बैंक के कुल हितों की सकल राशि (अर्थात वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं:

(रुपए करोड़ में)

बीमा इकाईयों का नाम/ उस देश का नाम, जहाँ निगमन हुआ है	अंकित मूल्य	बही मूल्य	बाज़ार भाव	अतिरिक्त प्रावधान (एलआईसीआरए + आईआरएसी + आईओएस + आरसीएच)	पूँजी प्रभार	आरडबल्यूए	इकाई की मुख्य गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	जोखिम भार पद्धति का उपयोग बनाम पूर्ण कटौती पद्धति का उपयोग का नियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.46	99.93	78.52	-	15.90	198.76	बीमा	2,112.62	0.07%	किसी भी विधि के साथ महत्वहीन प्रभाव
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0.45	68.07	60.39	0.02	12.22	152.80	बीमा	490.89	0.09%	किसी भी विधि के साथ महत्वहीन प्रभाव
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.62	100.34	80.74	-	16.35	204.37	बीमा	1,437.31	0.11%	किसी भी विधि के साथ महत्वहीन प्रभाव
न्यू इंडिया एश्योरेंस कं लिमिटेड	4.32	345.28	96.33	96.33	-	-	बीमा	824.00	0.52%	कोई प्रभाव के बाद से पूरी तरह से प्रदान के लिए

(च) बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या विनियामक पूंजी के अंतरण में कोई प्रतिबंध अथवा बाधाएं:

विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

अनुषंगियाँ	प्रतिबंध
एसबीआई कैलिफोर्निया	विनियमों के अनुसार, मूल बैंक को पूंजी अंतरित करने का एकमात्र माध्यम लाभांश का भुगतान अथवा शेयरों की वापसी-खरीद अथवा पूंजी का प्रत्यावर्तन है।
एसबीआई कनाडा	मूल बैंक को किसी भी प्रकार की पूंजी (इक्विटी अथवा ऋण) अंतरित करने से पहले नियामक (ओएसएफआई) की पूर्व अनुमति।

अनुषंगियाँ	प्रतिबंध
एसबीआई मॉरीशस लिमिटेड	मूल बैंक सहित शेयरधारकों को किए जाने वाले भुगतान से बैंक की पूंजी कम करने पर विनियामक प्रतिबंध हैं। पूंजी में कोई भी कमी या तो लाभांश के भुगतान के माध्यम से अथवा बैंकिंग अधिनियम व मॉरीशस के कंपनी अधिनियम में बताए गए माध्यम से की जा सकती है। भुगतान की जाने वाली राशि एसबीआईएमएल द्वारा विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त पूंजी और तरलता अनुपात बनाए रखने के अधीन है। क) कोई भी बैंक जब तक मॉरीशस में बताई गई पूंजी के अनुसार भुगतान की राशि अथवा कम से कम 400 मिलियन रुपयों या बराबर की नियत पूंजी की राशि नहीं रखता और रखना जारी नहीं रखता, तब तक केंद्रीय बैंक उसे लाइसेंस नहीं देगा अथवा बैंक बैंकिंग लाइसेंस नहीं रख सकता। ख) प्रत्येक बैंक मॉरीशस में कम से कम 10 प्रतिशत की पूंजी, अथवा उस बैंक की जोखिम आस्तियों एवं अन्य प्रकार के जोखिमों के मामले में केन्द्रीय बैंक द्वारा निर्धारित उच्चतर अनुपात में पूंजी बनाए रखेगा।
बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	बुक II बैंक के साथ-साथ विदेशी मुद्रा बैंक के रूप में काम करने में सक्षम होने के लिए बैंक न्यूनतम नियामक पूंजी रखता है। हालांकि, पर्याप्त लाभ अर्जित करने के बाद मूल बैंक को लाभांश के रूप में धन के अंतरण की अनुमति है।
नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	नेपाल के कानूनों के तहत, कंपनी की परिसंपत्तियां और देनदारियां विशिष्ट और गैर-हस्तांतरणीय होती हैं। इसलिए, बैंकिंग समूह के भीतर निधियों अथवा विनियामक पूंजी का अंतरण संभव नहीं है।
कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को (सीआईबीएल)	बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध अथवा बाधाएं नहीं हैं।
भारतीय स्टेट बैंक (यूके) लिमिटेड	विनियामक न्यूनतम आवश्यकता से अधिक पूंजी का भुगतान एसबीआई यूके बोर्ड और पीआरए के अनुमोदन के साथ मूल बैंक (लाभांश अथवा कम की गई पूंजी के माध्यम से) को वापस किया जा सकता है। यह एसबीआई यूके लिमिटेड की अनुमानित वृद्धि योजनाओं और इसकी पूंजी आवश्यकताओं पर आधारित होगा।

नोट: बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड 07 सितंबर 2021 से अपंजीकृत है।

गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

अनुषंगियाँ	प्रतिबंध
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड	विनियमों के अनुसार, मूल बैंक को पूंजी अंतरित करने का एकमात्र तरीका बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 49 के अनुसार लाभांश का भुगतान करना है।
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	• विनियमों के अनुसार, मूल बैंक को पूंजी अंतरित करने का एकमात्र तरीका बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 49 के अनुसार लाभांश का भुगतान करना है। • 31 मार्च 2022 के दिन कंपनी का सॉल्वेंसी अनुपात 1.85 है। • सॉल्वेंसी की विनियामक आवश्यकता 1.5 है और बोर्ड ने कंपनी द्वारा न्यूनतम सॉल्वेंसी अनुपात 1.7 को हमेशा बनाए रखना अनिवार्य किया है।
एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेस लिमिटेड	कंपनी अधिनियम, सेबी और आरबीआई के प्रावधानों के अनुसार, एसबीआई कार्ड शेयरों की वापसी-खरीद के माध्यम से ही एसबीआई को शेयर पूंजी वापस कर सकता है।
एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड	• एसबीआईएफ़एमएल कंपनी अधिनियम, सेबी विनियमों और अन्य लागू विनियमों के पालन के अधीन वापसी-खरीद के माध्यम से पूंजी का हस्तांतरण कर सकता है। कंपनी यह भी सुनिश्चित करती है कि बोर्ड/ समिति के सभी संकल्पों के लिए, जैसा भी मामला हो, अमुंडी के कम से कम एक सहयोगी निदेशक का अनुमोदन प्राप्त किया जाए। • इसके अलावा, कंपनी अधिनियम के अनुसार, जहां कहीं भी बोर्ड/शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, कंपनी उसका अनुपालन करेगी।

अनुषंगियाँ	प्रतिबंध
एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	एसबीआईकैप से मूल एसबीआई को पूंजी का हस्तांतरण, निम्नानुसार के अधीन होगा: 1. (क) सेबी मर्चेंट बैंकर्स विनियम 1992 के अनुसार, एक श्रेणी I के मर्चेंट बैंकर की न्यूनतम 5 करोड़ रुपए की निवल मालियत होना आवश्यक है। इसके अलावा, यदि निधियों के हस्तांतरण से नियंत्रण में बदलाव होता है तो सेबी से अनुमोदन की आवश्यकता होगी। 1. (ख) सेबी (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 के अनुसार, एक अनुसंधान विश्लेषक जो एक निगमित निकाय है, के पास 25 लाख रुपए की निवल मालियत होना आवश्यक है। इसके अलावा, यदि निधियों के हस्तांतरण से नियंत्रण में बदलाव होता है तो सेबी से अनुमोदन की आवश्यकता होगी। 2. एसबीआईकैप के एओए के अनुच्छेद 60 में प्रावधान है कि इन अनुच्छेदों में निहित किसी तथ्य के बावजूद, अधिनियम के सभी लागू प्रावधानों या किसी अन्य कानून के अधीन रहते हुए, कंपनी अपने स्वयं के शेयरों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को खरीद सकती है। 3. एसबीआईकैप में न्यूनतम क्षमता मूल्यांकन रेटिंग (सीएआर) को 15.00 बनाए रखने की एक आंतरिक जोखिम नीति है 4. उपर्युक्त सभी एसबीआईकैप बोर्ड के अनुमोदन के अधीन होंगे।
एसबीआई ग्लोबल फ़ैक्टर्स लिमिटेड	नियमों के अनुसार, मूल बैंक को पूंजी अंतरित करने का एकमात्र तरीका लाभांश या वापसी-खरीद शेयरों का भुगतान करना है। मूल बैंक सहित शेयरधारकों को किए जाने वाले भुगतान से बैंक की पूंजी कम करने पर विनियामक प्रतिबंध हैं। पूंजी में कोई भी कमी या तो लाभांश के भुगतान के माध्यम से अथवा बैंकिंग अधिनियम व कंपनी अधिनियम में बताए गए माध्यम से की जा सकती है। भुगतान की जाने वाली राशि विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त पूंजी और तरलता अनुपात बनाए रखने के अधीन है। क. एक कंपनी एनबीएफसी-फैक्टर्स लाइसेंस नहीं रख सकती है, यदि वह निवल स्वाधिकृत निधि के रूप में भुगतान की गई राशि को बनाए नहीं रखती और बनाए रखना जारी नहीं रखती है। ख. प्रत्येक एनबीएफसी तुलन पत्र पर अपनी कुल जोखिम भारित आस्तियों (टियर I और टियर II पूंजी, टियर I पूंजी 10% से कम नहीं होनी चाहिए) का कम से कम 15% की पूंजी, अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित उच्च अनुपात, और तुलनपत्रेतर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य को बनाए रखेगा। ग. एनबीएफसी-फैक्टर्स के रूप में पंजीकृत प्रत्येक कंपनी फैक्टरिंग विनियम अधिनियम 2011 के अनुसार न्यूनतम 5 करोड़ रुपए की निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) बनाए रखेगी। घ. कंपनी अधिनियम में शेयरों की वापसी-खरीद या लाभांश के रूप में वितरण के माध्यम से पूंजी के अंतरण के लिए भी कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। कंपनी के संस्था के अंतर्नियम (एओए) में निधि या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई विशिष्ट प्रतिबंध नहीं है। विनियामक न्यूनतम आवश्यकता से अधिक पूंजी का भुगतान बोर्ड और नियामक के अनुमोदन के साथ मूल बैंक (लाभांश अथवा कम की गई पूंजी के माध्यम से) को वापस किया जा सकता है। यह अनुमानित वृद्धि योजनाओं और इसकी पूंजी आवश्यकताओं पर आधारित होगा।
एसबीआई-एसजी ग्लोबल सेक्यूरिटीज़ सर्विसेस लिमिटेड	पूंजी का अंतरण सेबी द्वारा निर्धारित 500 मिलियन रुपए के न्यूनतम विनियामक निवल मालियत के संधारण के अधीन होगा। इसके अतिरिक्त, कंपनी को बोर्ड के अनुसार परिचालन जोखिम, जिसकी गणना बेसल II के मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार की जाती है, के लिए 200 मिलियन रुपए (31.03.2022 की स्थिति के अनुसार) की पूंजी पर प्रभार बनाए रखने की आवश्यकता है। अंतरण नए शेयरों के इश्यू (अधिकारों के आधार पर अथवा अनुवर्ती प्लेसमेंट के रूप में में जारी किए गए शेयरों के अलावा), विकल्प या वारंट का निर्माण, शेयरों के नए वर्गों का निर्माण, वापसी-खरीद/मोचन/पुनर्खरीद, विभाजन, संपरिवर्तनीय ऋण जारी कर, बोनस, ग्रहणाधिकार या ऋण-भार अथवा इक्विटी में संपरिवर्तन को शामिल करने वाले ऋण पुन:संरचना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जो पक्षों के लिए और/अथवा इक्विटी शेयरधारकों के रूप में उनके अधिकारों और कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा के लिए गैर-विलयनीय होगा।

अनुषंगियाँ	प्रतिबंध
एसबीआई डीएफ़एचआई लिमिटेड	कंपनी लाभांश/ शेयरों की वापसी-खरीद के माध्यम से मूल कंपनी को अधिशेष /पूंजी अंतरित कर सकती है। लाभांश के भुगतान के संबंध में एकल प्राइमरी डीलरों (एसपीडी) को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश निम्नानुसार हैं- 1. एसपीडी के शेयरधारिता स्वरूप/पूंजी संरचना में किसी भी बदलाव के लिए आरबीआई के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। 2. एसपीडी को निरंतर आधार पर न्यूनतम 15 प्रतिशत सीआरएआर बनाए रखने की आवश्यकता है। 3. लाभांश वितरण की घोषणा करते समय एसपीडी निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करेंगे: अ. एसपीडी ने सांविधिक भंडारों को लाभ के अंतरण संबंधी विनियमों और प्रतिभूतियों के प्रावधान और मूल्यांकन आदि से संबंधित विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन किया होगा। आ. पिछली चार तिमाहियों में से किसी में भी 15 प्रतिशत के विनियामक न्यूनतम से कम सीआरएआर वाले एसपीडी किसी भी लाभांश की घोषणा नहीं करेंगे। इ. पिछले वर्ष की सभी चार तिमाहियों के दौरान 15 प्रतिशत के नियामक न्यूनतम के बराबर या उससे अधिक, लेकिन चार तिमाहियों में से किसी एक में भी 20 प्रतिशत से कम सीआरएआर वाले एसपीडी के लिए, लाभांश भुगतान अनुपात (डीपीआर) 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। ई. पिछले वर्ष की सभी चार तिमाहियों के दौरान 20 प्रतिशत या उससे अधिक की दर से सीआरएआर वाले एसपीडी के लिए, डीपीआर 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उ. डीपीआर की गणना एक वर्ष में देय लाभांश (लाभांश कर को छोड़कर) से वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ के लिए के प्रतिशत के रूप में की जाएगी। ऊ. प्रस्तावित लाभांश चालू वर्ष के लाभ में से देय होगा। यदि प्रासंगिक अवधि के लिए लाभ में कोई असाधारण आय शामिल है, तो लाभ-भुगतान अनुपात की गणना विवेकपूर्ण लाभ-भुगतान अनुपात सीमा के अनुपालन के लिए ऐसी असाधारण मदों को छोड़कर की जाएगी। ऋ. उस वित्तीय वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरण जिसके लिए एसपीडी लाभांश की घोषणा कर रहा है, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी अर्हता से मुक्त होगा, जिसका उस वर्ष के दौरान लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव के लिए किसी भी अर्हता के मामले में, डीपीआर की गणना करते समय शुद्ध लाभ को उपयुक्त रूप से नीचे की ओर समायोजित किया जाएगा।
एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	पीएफआरडीए/कंपनी अधिनियम, 2013 में लाभांश के माध्यम से मूल बैंक को पूंजी के हस्तांतरण अथवा मूल बैंक को शेयर की वापसी-खरीद अथवा पूंजी प्रत्यावर्तन के लिए कोई विनियामक प्रतिबंध नहीं हैं। एकमात्र मानदंड यह है कि कंपनी को 50 करोड़ रुपए के न्यूनतम निवल मालियत को बनाए रखना चाहिए और पेंशन फंड के न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए अर्थात विनियम 8 (डी) प्रायोजक के पास पिछले पांच वित्तीय वर्षों में से कम से कम तीन में कर पश्चात लाभ होना चाहिए। इसके अलावा पिछले पांच वर्षों में कोई नकदी हानि नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, विनियम जे के अनुसार, किसी वित्तीय वर्ष में पेंशन निधि के प्रायोजक के प्रबंधन, स्वामित्व, शेयरधारिता स्वरूप या नियंत्रण में एक प्रतिशत से अधिक लेकिन प्रायोजक या पेंशन फंड की चुकता पूंजी के पांच प्रतिशत से कम का परिवर्तन होने पर, इसकी सूचना, ऐसे परिवर्तन की घटना के पंद्रह दिनों के भीतर प्राधिकरण को दी जाएगी। बशर्ते कि किसी भी वित्तीय वर्ष में प्रायोजक या पेंशन निधि की चुकता पूंजी में पांच प्रतिशत या उससे अधिक में कोई परिवर्तन प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। पूंजी का भुगतान बोर्ड और शेयरधारकों के अनुमोदन और पीएफआरडीए विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को पूरा करने के साथ मूल बैंक को किया जा सकता है।
जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, एसबीआई द्वारा आयोजित जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के शेयरों में कोई लॉक-इन नहीं है।
एसबीआई पेमेंट सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम करार के अनुसार निधियों अथवा विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं नहीं हैं। निधियों का अंतरण एसबीआई पेमेंट बोर्ड और जेवी भागीदारों के अनुमोदन के अधीन है।

डीएफ़-2 - पूंजीपर्याप्तता

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) वर्तमान और भविष्य की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए अपनी पूंजी पर्याप्तता की स्थिति के आकलन के लिए बैंक के दृष्टिकोण की संक्षिप्त चर्चा

- बैंक और इसकी बैंकिंग सहायक कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक के नए पूंजी पर्याप्तता संरचना (एनसीएएफ) दिशानिर्देशों के अनुरूप वार्षिक आधार पर आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) अपनाती हैं। इस आईसीएएपी में पूंजी योजना प्रक्रिया का विवरण दिया जाता है और निम्नलिखित जोखिमों के मापन, निगरानी, आंतरिक नियंत्रण, रिपोर्टिंग, पूंजी आवश्यकता तथा तनाव परीक्षण को कवर करते हुए मूल्यांकन किया जाता है:

  - ➢ ऋण जोखिम
  - ➢ परिचालन जोखिम
  - ➢ चलनिधि जोखिम
  - ➢ अनुपालन जोखिम
  - ➢ पेंशन निधि दायित्व जोखिम
  - ➢ प्रतिष्ठा जोखिम
  - ➢ ऋण जोखिम न्यूनीकरण से शेष जोखिम
  - ➢ प्रतिभा जोखिम
  - ➢ उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य जोखिम
  - ➢ बाजार जोखिम
  - ➢ ऋण संकेंद्रण जोखिम
  - ➢ बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम
  - ➢ देश जोखिम
  - ➢ कार्यनीतिक जोखिम
  - ➢ मॉडल जोखिम
  - ➢ संक्रामक जोखिम
  - ➢ साइबर जोखिम
  - ➢ अंडरराइटिंग जोखिम

- भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में अनुमानित निवेश तथा भारतीय स्टेट बैंक एवं इसकी सहायक कंपनियों (घरेलू/विदेशी) के अग्रिमों में वृद्धि पर विचार करते हुए 3 से 5 वर्षों की मध्यम अवधि में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) में कमी या बढ़ोत्तरी पर प्रतिवर्ष अथवा आवश्यकतानुसार संवेदनशीलता विश्लेषण किया जाता है। यह विश्लेषण एसबीआई और एसबीआई समूह के लिए अलग-अलग किया जाता है।
- 3 से 5 वर्षों की मध्यम अवधि में बैंक तथा समग्र समूह के सीआरएआर विनियामक सीएआर से काफी अधिक रहने का अनुमान है। तथापि, पर्याप्त पूंजी बनाए रखने के लिए, बैंक के पास इक्विटी के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अधीनस्थ ऋण, स्थायी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस), मोचनीय गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस), मोचनीय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस), स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई) और स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) को बढ़ाकर अपने पूंजीगत संसाधनों को बढ़ाने के विकल्प हैं।
- विदेशी अनुषंगियों के लिए कार्यनीतिक पूंजी योजना में आस्तियों की वृद्धि के लिए आवश्यक पूंजी निर्धारण तथा विभिन्न स्थानीय विनियामक आवश्यकताओं एवं विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक पूंजी का आकलन शामिल है। आस्तियों के बढ़े हुए स्तर का समर्थन करने तथा पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) को बनाए रखने के लिए सीईटी 1/एटी 1/ टियर 2 पूंजी जुटाने के लिए एकल अनुषंगी की क्षमता के बारे में संतुष्ट हो जाने के बाद मूल बैंक द्वारा संवृद्धि योजना को अनुमोदित किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ख) ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं:

- मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो → रु 2,45,004.33 करोड़
- प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र → शून्य

....

कुल रुपए 2,45,004.33 करोड़

(ग) बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं

- मानक अवधि दृष्टिकोण;
  - ब्याज दर जोखिम → रु 14,552.67 करोड़
  - विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित) → रु 902.64 करोड़
  - इक्विटी जोखिम → रु 10,194.22 करोड़

....

कुल रुपए 25,649.53 करोड़

(घ) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं

- बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण → रु 21,077.98 करोड़
- मानक दृष्टिकोण (यदि लागू हो)) लागू नहीं

....

कुल रुपए 21,077.98 करोड़

(ङ) सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 तथा कुल पूंजी अनुपात

- शीर्ष समेकित समूह के लिए; तथा
- महत्वपूर्ण बैंक अनुषंगियों के लिए (फ्रेमवर्क लागू करने के तरीके के आधार पर एकल अथवा उप-समेकित)

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात

	सीईटी 1 (%)	टियर 1 (%)	कुल (%)
एसबीआई समूह	10.26	11.68	14.03
भारतीय स्टेट बैंक	9.94	11.42	13.83
एसबीआई (मॉरीशस) लिमिटेड	18.64	18.64	19.64
भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	13.44	13.44	15.06
भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफ़ोर्निया)	14.51	14.51	15.70
वाणिज्यिक इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को	35.21	35.21	35.21
बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	67.74	67.74	68.68
नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	13.30	13.30	16.39
एसबीआई (यूके) लिमिटेड	16.86	16.86	17.15

डीएफ़-3: ऋणजोखिम: सामान्य प्रकटीकरण

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार

सामान्य प्रकटीकरण

अ. **गुणात्मक प्रकटीकरण**

- **पिछले बकाया और ह्रासित आस्तियों की परिभाषाएं (लेखांकन उद्देश्यों के लिए)**

अनर्जक आस्तियां

जब कोई आस्ति बैंक के लिए आय अर्जन बंद कर देती है, तो वह अनर्जक आस्ति बन जाती है। 31 मार्च 2006 से, उस आस्ति को अनर्जक आस्ति (एनपीए) माना जाता है, जो

(i) सावधि ऋण के मामले में ब्याज और/या यदि मूल राशि की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है।

(ii) ओवरड्राफ्ट/ नकदी ऋण (ओडी/सीसी) खाता यदि 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए 'अनियमित रहता है।

(iii) खरीदे और भुनाए गए बिलों के मामले में यदि बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए 'अतिदेय' रहता है।

(iv) अन्य खातों के मामले में यदि प्राप्त होने वाली कोई भी राशि 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है।

(v) अल्प अवधि फसलों के लिए दिए गए ऋण को तब एनपीए माना जाता है जब मूल राशि या ब्याज की किस्त दो फसली मौसमों तक अतिदेय रहती है तथा दीर्घ अवधि फसलों के लिए दिए गए ऋण को तब एनपीए माना जाता है जब मूल राशि की किस्त या ब्याज एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहता है।

(vi) किसी खाते को तब एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब किसी तिमाही के दौरान लगाए गए ब्याज का भुगतान तिमाही समाप्ति के 90 दिनों के भीतर पूरी तरह से न किया गया हो।

(vii) प्रतिभूतिकरण पर 1 फरवरी, 2006 के आरबीआई के दिशानिदेशों के अनुसार प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में, यदि चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक तक बकाया हो।

(viii) डेरिवेटिव लेनदेन के मामले में, डेरिवेटिव संविदा के बाजार मूल्य में सकारात्मक चिह्न वाले अतिदेय प्राप्य राशियां, यदि निर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिनों की अवधि के लिए अप्रदत हैं।

'अनियमित' स्थिति

यदि किसी खाते में बकाया राशि लगातार संस्वीकृत/आहरण सीमा से अधिक रहती है, तो उस खाते को 'अनियमित' माना जाता है।

ऐसे मामलों में जहां मूल परिचालन खाते में बकाया शेष राशि संस्वीकृत/आहरण सीमा शक्ति से कम है, लेकिन बैंक के तुलन-पत्र की तारीख तक लगातार 90 दिनों तक कोई क्रेडिट प्राप्त नहीं होता है, अथवा इसी अवधि के दौरान खाते में डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने के लिए क्रेडिट पर्याप्त नहीं होते हैं, ऐसे खातों को 'अनियमित' माना जाता है।

'अतिदेय''

किसी भी ऋण सुविधा के तहत बैंक को देय किसी भी राशि की चुकौती यदि बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि पर नहीं की जाती है तो उसे 'अतिदेय' माना जाता है।

दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान

दबाव की प्रारंभिक पहचान और रिपोर्टिंग:

निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार चूक* होने की स्थिति में विशेष उल्लिखित खातों (एसएमए) के रूप में दबावग्रस्त आस्तियों को वर्गीकृत करके ऋण खातों में प्रारंभिक दबाव की पहचान:

एसएमए उप श्रेणियाँ	वर्गीकरण का आधार- मूलधन अथवा ब्याज भुगतान अथवा अन्य कोई राशि इस अवधि के दौरान पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अतिदेय हो
एसएमए -0	1-30 दिन
एसएमए -1	31-60 दिन
एसएमए -2	61-90 दिन

* चूक का अर्थ है, जब पूरी राशि या उसका कोई भाग अथवा ऋण की किस्त बकाया एवं देय हो गई हो तथा ऋणकर्ता अथवा कॉरपोरेट ऋणकर्ता द्वारा उसकी चुकौती न की गई हो। नकदी ऋण जैसी परिक्रामी ऋण सुविधाओं के मामले में उपर्युक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना चूक का अर्थ यह भी होगा कि बकाया शेष राशि 30 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति, जो भी कम हो, लगातार से अधिक बनी रहती है।

- **बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा**

बैंक में एक एकीकृत ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति है, जिसकी समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है। वर्ष-दर-वर्ष, इस संबंध में नई उभरती अवधारणाओं और वास्तविक अनुभव के आधार पर नीति और कार्यप्रणालियों में सुधार किया जाता रहा है। नीति तथा कार्यप्रणालियों को बेसल-II और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों में निर्धारित दृष्टिकोण के अनुरूप ढाला गया है।

ऋण जोखिम प्रबंधन के तहत एक्सपोज़र में ऋण जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, मापन, निगरानी और नियंत्रण शामिल हैं।

ऋण जोखिम की पहचान और मूल्यांकन की प्रक्रियाओं में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं:

(i) व्यापक रूप से वित्तीय, व्यावसायिक, औद्योगिक तथा प्रबंधन जोखिमों में वर्गीकृत विभिन्न जोखिमों को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्ष जोखिम का आकलन करने के लिए ऋण जोखिम मूल्यांकन (सीआरए) मॉडलों/स्कोरिंग मॉडलों को विकसित व परिष्कृत करना, इनमें से प्रत्येक जोखिम को अलग-अलग स्कोर दिया जाता है।

(ii) समय-समय पर उद्योगों/क्षेत्रों के लिए सामान्य दृष्टिकोण पर परामर्श जारी करना, बड़े/महत्वपूर्ण उद्योगों में पोर्टफोलियो को संभालने के लिए विशिष्ट नीतिगत सुझाव देना व मात्रात्मक एक्सपोज़र मानदंड निर्धारित करने के लिए औद्योगिक शोध करना।

ऋण जोखिम के मापन में ऋण जोखिम घटकों जैसे चूक की संभावना (पीडी), चूक से हुई हानि (एलजीडी) तथा चूक पर एक्सपोज़र (ईएडी) की गणना शामिल है।

ऋण जोखिम की निगरानी और नियंत्रण में एकल ऋणकर्ता, समूह ऋणकर्ता तथा उद्योगों जैसे आयामों में एक अच्छा विविध पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक्सपोज़र सीमाएं निर्धारित करना शामिल है। बेहतर जोखिम प्रबंधन और ऋण जोखिमों के संकेन्द्रण से बचने के लिए, एकल कंपनियों, समूह कंपनियों, बैंकों, व्यक्तिगत ऋणकर्ताओं, गैर-कॉरपोरेट संस्थाओं, पूंजी बाजार, भू-संपत्ति, संवेदनशील वस्तुओं आदि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में विवेकपूर्ण जोखिम मानदंडों पर आंतरिक दिशानिर्देश विद्यमान हैं। जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने के लिए छमाही अंतराल पर क्रेडिट जोखिम तनाव परीक्षण आयोजित किए जाते हैं।

बैंक में एक ऋण नीति विद्यमान है, जिसका उद्देश्य लचीलेपन और नवोन्मेष के लिए पर्याप्त संभावना रखते हुए ऋण की मूल बातों, मूल्यांकन कौशल, प्रलेखन मानकों तथा संस्थागत चिताओं एवं कार्यनीतियों के बारे में जागरूकता के संबंध में एकसमान दृष्टिकोण विकसित कर पोर्टफोलियो स्तर पर आस्तियों की समग्र गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना है।

ऋण जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं जैसे मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण, ऋण अनुमोदन प्राधिकार, प्रलेखन, रिपोर्टिंग एवं निगरानी, ऋण सुविधाओं की समीक्षा व नवीनीकरण, समस्या ऋणों का प्रबंधन, ऋण निगरानी इत्यादि के संबंध में बैंक की प्रक्रियाएं और नियंत्रण विद्यमान हैं। बैंक की एक ऋण लेखापरीक्षा प्रणाली भी है जिसका उद्देश्य 20 करोड़ रुपए और उससे अधिक राशि के एक्सपोज़र वाले ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना है। ऋण लेखापरीक्षा में विभिन्न स्तरों पर लिए गए ऋण संस्वीकृति निर्णयों की लेखा परीक्षा शामिल है। ऋण लेखापरीक्षा प्रणाली के एक भाग के रूप में पूर्व-स्वीकृति प्रक्रिया और संस्वीकृति पश्चात स्थिति, दोनों की जांच की जाती है। ऋण लेखापरीक्षा में पहचाने गए जोखिमों की भी जांच की जाती है और जोखिम न्यूनीकरण के उपाय सुझाए जाते हैं।

डीएफ़-3: 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार मात्रात्मक प्रकटीकरण

(बीमा संस्थाओं, संयुक्त उद्यमों और गैर-वित्तीय संस्थाओं को बाहर रखा गया)

सामान्य प्रकटीकरण: रुपए करोड़ में

	मात्रात्मक प्रकटीकरण		निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	कुल
बी.	कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोज़र		2879141.43	534011.40	3413152.83
सी.	एक्सपोज़र का भौगोलिक संवितरण: निधि आधारित/ गैर-निधि आधारित				
	विदेश में		448646.97	84801.33	533448.30
	देश में		2430494.46	449210.07	2879704.53
डी.	उद्योग प्रकार एक्सपोज़र संवितरण निधि आधारित / गैर-निधि आधारित अलग-अलग			कृपया तालिका "ए" देखें	
ई.	आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता ब्रेकडाउन			कृपया तालिका "बी" देखें	
एफ़.	एनपीए की राशि (सकल) अर्थात (i से v) का योग				112785.09
	i.	अवमानक			15520.48
	ii.	संदिग्ध 1			16203.22
	iii.	संदिग्ध 2			25512.60
	iv.	संदिग्ध 3			27485.35
	v.	हानि			28063.44
जी.	निवल एनपीए				28002.85
एच.	एनपीए अनुपात				
	i)	सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए			3.92%
	ii)	निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए			1.00%
आई.	एनपीए (सकल) में कमी/वृद्धि				
	i)	प्रारंभिक शेष			128168.54
	ii)	वृद्धि			26812.87
	iii)	कमी			42196.32
	iv)	अंतिम शेष			112785.09
जे.	एनपीए हेतु प्रावधानों में कमी/वृद्धि				
	i)	प्रारंभिक शेष			91049.44
	ii)	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान			15937.70
	(iii)	अपलेखन/अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन			22204.90
	iv)	अंतिम शेष			84782.24
के.	अनर्जक निवेशों की राशि				2465.22
एल.	अनर्जक निवेशों के लिए किए गए प्रावधान की राशि				1708.13
एम.	निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों वृद्धि/कमी				
	प्रारंभिक शेष				9198.25
	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान				3330.11
	अपलेखन				1510.04
	अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन				193.09
	अंतिम शेष				10825.23
एन.	प्रमुख उद्योग या प्रतिपक्ष प्रकार के अनुसार				
	एनपीए की राशि और यदि उपलब्ध हो, पिछले देय ऋण, अलग से प्रावधान किए गए				54118.03
	निर्दिष्ट व सामान्य प्रावधान; तथा				-
	वर्तमान अवधि के दौरान विशिष्ट प्रावधान और अपलेखन				-
ओ.	महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों द्वारा विशिष्ट और सामान्य प्रावधानों सहित अलग से प्रदान किए गए पिछले देय ऋणों और एनपीए की राशि				-
	प्रावधान				-

तालिका- ए: डीएफ़-3 (घ) 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार उद्योग-प्रकार के एक्सपोज़र का संवितरण

(रुपए करोड़ में)

कोड	उद्योग	निधि आधारित [शेष राशियाँ]			गैर-निधि आधारित (शेष राशियाँ)
		मानक	एनपीए	कुल	
1	कोयला	11521.40	210.14	11731.54	7817.45
2	खनन	8418.71	107.37	8526.07	3195.88
3	लोहा और इस्पात	54777.25	2326.85	57104.10	49105.33
4	धातु उत्पाद	30723.31	771.10	31494.41	13797.42
5	सभी इंजीनियरिंग	40564.09	4397.25	44961.34	63931.65
5.1	इनमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	4682.94	97.17	4780.11	7158.75
6	बिजली	6646.95	0.04	6646.99	0.00
7	सूती वस्त्र	24692.24	1362.86	26055.11	1896.49
8	जूट वस्त्र	1142.84	45.40	1188.23	37.07
9	अन्य वस्त्र	13384.93	989.60	14374.53	3304.46
10	चीनी	6824.09	367.02	7191.11	957.49
11	चाय	1196.09	58.84	1254.93	27.92
12	खाद्य प्रसंस्करण	52881.45	4723.70	57605.14	3044.05
13	वनस्पति तेल और वनस्पति	5213.18	537.80	5750.97	3412.37
14	तम्बाकू/तम्बाकू उत्पाद	160.62	15.04	175.66	117.46
15	कागज/कागज उत्पाद	5486.49	383.25	5869.74	1220.58
16	रबड़/रबड़ उत्पाद	9970.24	848.72	10818.96	2182.12
17	रसायन/रंग/पेंट आदि	94543.70	2510.15	97053.85	80921.50
17.1	इनमें से उर्वरक	17982.66	680.30	18662.96	14142.84
17.2	इनमें से पेट्रोकेमिकल्स	49477.18	139.44	49616.62	53166.26
17.3	इनमें से दवा व फार्मा	13597.57	411.63	14009.20	2174.93
18	सीमेंट	8789.66	683.18	9472.84	4495.74
19	चमड़ा और चमड़े के उत्पाद	3196.74	295.87	3492.62	422.43
20	रत्न और आभूषण	11684.33	1613.02	13297.35	290.91
21	विनिर्माण	43212.50	1353.17	44565.68	17742.86
22	पेट्रोलियम	49193.63	308.52	49502.15	33461.29
23	ऑटोमोबाइल व ट्रक	17687.44	979.77	18667.20	7147.44
24	कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर	7450.64	9.18	7459.82	1692.82
25	आधारभूत ढांचा	373165.53	28407.24	401572.78	85085.73
25.1	इनमें से बिजली	190495.03	8549.60	199344.63	32594.85
25.2	इनमें से दूरसंचार	34464.21	5912.44	40376.65	6232.15
25.3	इनमें से सड़क और बंदरगाह	82345.63	7650.59	89996.22	20481.15
26	अन्य उद्योग	275979.41	30197.88	306177.29	71749.19
27	एनबीएफ़सी व ट्रेडिंग	422772.07	14124.56	436896.63	41789.83
28	अवशिष्ट अग्रिम	1185076.81	15157.56	1200234.37	31163.95
	कुल	**2766356.34**	**112785.09**	**2879141.43**	**534011.40**

तालिका- बी डीएफ-3 (ई) भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) 31.03.2022* की स्थिति के अनुसार आस्तियों की शेष संविदागत परिपक्वता का विवरण

(रुपए करोड़ में)

	अंतःप्रवाह	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-30 दिन	31 दिन से 2 माह तक	2 माह से अधिक और 3 माह तक	3 माह से अधिक और 6 माह तक	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
1	नकदी	21894.41	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21897.59
2	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष	66224.07	3496.34	2240.07	3098.86	3537.13	3026.15	7627.70	39876.22	38882.96	19088.19	49019.69	236117.38
3	अन्य बैंकों के पास जमा शेष	68400.65	64189.91	436.74	600.99	2267.66	1248.41	2424.84	516.39	3271.24	432.80	1769.08	145558.71
4	निवेश	11482.17	1278.44	4737.51	4264.39	11101.44	22297.91	60584.05	99191.45	395338.02	257357.78	643264.40	1510897.56
5	अग्रिम	37546.30	21809.59	25772.59	51529.69	64134.94	64373.76	160767.00	226595.31	976129.00	367143.81	808095.08	2803897.07
6	अचल आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	72.04	348.69	23.18	38511.46	38955.75
7	अन्य आस्तियां	13411.43	36196.26	38966.68	23873.87	20889.75	16983.11	27062.06	39739.43	20011.86	32545.14	74874.83	344554.42
	कुल	218959.03	126973.72	72153.59	83367.80	101930.92	107929.72	258465.65	405990.84	1433981.77	676590.90	1615534.54	5101878.48

* टिप्पणियां:

i) बीमा संस्थाएं, गैर-वित्तीय संस्थाएं, संयुक्त उद्यमों, विशेष प्रयोजन माध्यम तथा अंतःसमूह समायोजन को शामिल नहीं किया गया है।

ii) निवेशों में अनर्जक निवेश शामिल हैं और अग्रिमों में अनर्जक अग्रिम शामिल हैं।

iii) 23 मार्च, 2016 के आरबीआई दिशानिर्देशों के आधार पर बकेटिंग संरचना को संशोधित किया गया है।

डीएफ़-4: ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार पोर्टफोलियो का प्रकटीकरण

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार

मानकीकृत दृष्टिकोण पद्धति के अनुसार पोर्टफोलियो का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

- उपयोग की गई क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम, साथ ही किसी भी परिवर्तन का कारण

  (a) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने घरेलू और विदेशी एक्सपोज़र की रेटिंग के उद्देश्य से क्रमश: केयर, क्रिसिल, इक्रा, इंडिया रेटिंग, ब्रिकवर्क, एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च तथा इन्फोमेरिक्स (घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) और फिच, मूडीज और एसएंडपी (अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां) की पहचान अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों के रूप में की है, जिनकी रेटिंग का उपयोग जोखिम-भारित आस्तियों और पूंजीगत प्रभार की गणना के उद्देश्य से किया जाता है।

- एक्सपोज़र के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक एजेंसी का उपयोग किया जाता है

  (i) एक वर्ष या उससे कम की संविदात्मक परिपक्वता वाले एक्सपोज़र (कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट तथा अन्य परिक्रामी ऋण को छोड़कर) के लिए, अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई अल्पकालिक रेटिंग का उपयोग किया जाता है।

  (ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और अन्य परिक्रामी क्रेडिट (अवधि चाहे कुछ भी हो) तथा 1 वर्ष से अधिक अवधि के सावधिक ऋण एक्सपोज़र के लिए, दीर्घकालिक रेटिंग का उपयोग किया जाता है।

- **पब्लिक इश्यू रेटिंग को बैंकिंग बही में तुलनीय आस्तियों के रूप में अंतरित करने हेतु उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया का विवरण**

  बैंक के बाह्य रेटिंग संरचना के प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं:

  - क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा विशेष रूप से बैंक के दीर्घावधि तथा लघु अवधि एक्सपोज़र को दी गई दीर्घकालिक और अल्पकालिक रेटिंग को बैंक द्वारा प्रत्येक मामले में विशिष्ट रेटिंग के रूप में माना जाता है।
  - विदेशी सरकारी और विदेशी बैंक एक्सपोज़र, उन्हें दी गई जारीकर्ता रेटिंग के आधार पर जोखिम-भारित होते हैं।
  - बैंक सुनिश्चित करता है कि सुविधा/ऋणकर्ता की बाह्य रेटिंग की समीक्षा विगत 15 महीनों में कम से कम एक बार ईसीएआई द्वारा की गई है और उपयोग करने की तिथि को यह मान्य है।
  - जब एक इकाई को विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा विविध जारीकर्ता रेटिंग दी जाती है, इस संदर्भ में, जहां दो रेटिंग होती हैं वहाँ निम्नतर रेटिंग और जहां तीन या अधिक रेटिंग दी होती हैं, वहाँ दूसरी सबसे कम रेटिंग का उपयोग निर्धारित सुविधा के लिए किया जाता है।

  दीर्घावधि इश्यू विशिष्ट रेटिंग (बैंक के स्वयं के एक्सपोज़र या उसी ऋणकर्ता-ग्राहक/प्रतिपक्ष द्वारा जारी अन्य ऋण के लिए) अथवा जारीकर्ता (ऋणकर्ता-ग्राहक/प्रतिपक्ष) रेटिंग का उपयोग उसी ऋणकर्ता-ग्राहक/प्रतिपक्ष के अन्य गैर-रेटेड एक्सपोज़र के लिए निम्नलिखित मामलों में किया जाता है:

  - यदि इश्यू विशिष्ट रेटिंग या जारीकर्ता रेटिंग गैर-रेटेड एक्सपोज़र के बराबर या उससे अधिक जोखिम भार के अनुरूप है, तो उस प्रतिपक्ष के किसी भी अन्य गैर-रेटेड एक्सपोज़र को वही जोखिम भार दिया जाएगा, यदि एक्सपोज़र सभी प्रकार से रेटेड एक्सपोज़र के सममात्रा में या उससे कम है।
  - ऐसे मामलों में जहां ऋणकर्ता-ग्राहक/प्रतिपक्ष ने ऋण जारी किया है (जो बैंक से लिया गया ऋण नहीं है), तो यदि बैंक का एक्सपोज़र सभी प्रकार से विशिष्ट रूप से रेटेड ऋण के समान या उससे अधिक है तथा बैंक के गैर-रेटेड एक्सपोज़र की परिपक्वता रेटेड ऋण की परिपक्वता के बाद की नहीं है तो उस ऋण को दी गई रेटिंग बैंक के गैर-रेटेड एक्सपोज़र पर लागू होती है।

31.03.2022 को मात्रात्मक प्रकटीकरण

(करोड़ रुपए में)

(ख)	एक्सपोज़र राशियों के लिए जोखिम न्यूनीकरण के बाद मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत, प्रत्येक जोखिम बकेट में समूह की बकाया राशि (रेटेड और गैर-रेटेड) के साथ-साथ घटाई गई राशियाँ		राशि
		100% से कम जोखिम भार	22,76,943.77
		100% जोखिम भार	8,48,873.23
		100% से अधिक जोखिम भार	2,87,335.83
		कटौती	0.00
		कुल	**34,13,152.83**

डीएफ़-5: ऋण जोखिम न्यूनीकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण पद्धति के अनुसार प्रकटीकरण

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार

ऋण जोखिम न्यूनीकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण पद्धति के अनुसार प्रकटीकरण

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण

- **तुलन पत्र में शामिल तथा शामिल न की गई निवलीकरण नीतियां व प्रक्रियाएं तथा बैंक इनका किस सीमा तक उपयोग करता है**

  तुलन पत्र की निवलीकरण मदें केवल ऐसे ऋणों/अग्रिमों तक सीमित हैं, जिनके संबंध में बैंक के पास विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार, दस्तावेजी प्रमाण सहित विशिष्ट ग्रहणाधिकार उपलब्ध है। बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन निवल ऋण जोखिम के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है:

  जहां बैंक,

  अ. यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि प्रतिपक्ष के दिवालिया हो जाने पर या दिवालिया न होने पर भी प्रत्येक प्रासंगिक क्षेत्राधिकार में लागू करने योग्य निवलीकरण या ऑफसेटिंग समझौते का एक सुस्थापित कानूनी आधार उपलब्ध है;

  आ. किसी भी किसी भी समय उसी प्रतिपक्ष के ऋण/अग्रिम तथा जमाराशियों को निवलीकरण समझौते के अंतर्गत निर्धारित कर सकता है; तथा

  इ. निवलीकरण के आधार पर संबंधित एक्सपोज़र की निगरानी तथा नियंत्रण करता है, बैंक ऋणों/अग्रिमों तथा जमाराशियों के निवल एक्सपोज़र को अपने पूंजी पर्याप्तता के आकलन के लिए आधार के रूप में प्रयोग कर सकता है। ऋणो/अग्रिमों को एक्सपोज़र तथा जमाराशियों को संपार्श्विक माना जाता है।

- **संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिए नीतियाँ एवं**

  बैंक में एक एकीकृत ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति विद्यमान है, जिसकी समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है। इस नीति का भाग बी ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन से संबंधित है, जो पूंजी गणना के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रति बैंक के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है।

  इस नीति का उद्देश्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण का वर्गीकरण तथा आकलन इस तरह से करना है कि विनियामक पूंजी समायोजन किया जा सके।

  i. ऋण जोखिम न्यूनीकरणों का वर्गीकरण

  ii. स्वीकार्य ऋण जोखिम-न्यूनीकरण

  iii. ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के लिए आवश्यक प्रलेखीकरण एवं विधिक प्रक्रियाएँ

  iv. संपार्श्विक प्रतिभूति का मूल्यांकन

  v. मार्जिन एवं संतुलन आवश्यकताएँ

  vi. बाह्य रेटिंग

  vii. संपाश्विक प्रतिभूति की अभिरक्षा

  viii. बीमा

  ix. ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों की निगरानी

  x. सामान्य दिशानिदेश

  बैंक द्वारा ली गई प्रमुख प्रकार की प्रतिभूतियों का विवरण

  मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत समान्यतः निम्नलिखित प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम न्यूनीकरण के रूप में माना जाता है:

  नकदी या नकदी के समान (बैंक जमा/राष्ट्रीय बचत पत्र/ किसान विकास पत्र/ एलआईसी पॉलिसी, इत्यादि)

  स्वर्ण

  केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों

  अल्पावधि ऋण लिखतों के लिए बीबीबी- अथवा बेहतर/PR3/P3/F3/A3 रेट की गई ऋण प्रतिभूतियाँ

- **मुख्य प्रकार के गारंटर पक्षकार और उनकी ऋण पात्रता**

  भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक निम्नलिखित संस्थाओं को पात्र गारंटर के रूप में स्वीकार करता है:

- सरकार, सरकारी संस्थाएँ [बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), यूरोपीय सेंट्रल बैंक एवं यूरोपीय समुदाय के साथ-साथ बहुपक्षीय विकास बैंक, निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम (ईसीजीसी) और सूक्ष्म व लघु उदयमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)], सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसई), बैंक तथा प्राथमिक डीलर जिनका जोखिम भार प्रतिपक्षकार से कम हो।
- एए या बेहतर की बाह्य रेटिंग वाले अन्य गारंटर। यदि गारंटर मूल कंपनी, संबद्ध या सहायक कंपनी है, तो बैंक द्वारा गारंटीकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए उनका जोखिम भार ऋणकर्ता से कम होना चाहिए। गारंटर की रेटिंग एक इकाई की रेटिंग के रूप में होनी चाहिए. जिसमें इकाई की सभी देनदारियों तथा प्रतिबद्धताएँ (गारंटियों सहित) शामिल हों।

  जोखिम न्यूनीकरण मदों के भीतर (बाजार या क्रेडिट) जोखिम संकेंद्रण के बारे में जानकारी:

  बैंक के पास विभिन्न प्रकार के संपार्श्विकों से प्रतिभूतिकृत आस्तियों का एक विस्तृत पोर्टफोलियो है, जैसे: -

- ऊपर सूचीबद्ध पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ
- सरकारों तथा अच्छी रेटिंग कंपनियों द्वारा दी गई गारंटियाँ,
- प्रतिपक्षकार की अचल आस्तियां तथा चालू आस्तियां

31.03.2022 को मात्रात्मक प्रकटीकरण

(करोड़ रुपए में)

(ख)	अलग से प्रकट किए गए प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो का कुल एक्सपोज़र (जहां लागू हो, तुलन पत्र अथवा तुलन पत्र इतर में शामिल ऋण जोखिम घटाने के बाद) जिसे निर्धारित कटौती लागू करने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किया गया है।	1,90,182.34
(ग)	अलग से प्रकट किए गए प्रत्येक पोर्टफोलियो के लिए कुल एक्सपोज़र (जहां लागू हो, तुलन पत्र अथवा तुलन पत्र इतर में शामिल ऋण जोखिम घटाने के बाद) जिसे गारंटी/क्रेडिट डेरिवेटिव द्वारा सुरक्षित किया जाता है (जहाँ विशेष रूप से आरबीआई द्वारा अनुमति दी गई है)।	1,14,851.76

डीएफ़-6: प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र: मानकीकृत दृष्टिकोण पद्धति के अनुसार प्रकटीकरण

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण		
(क)	गुणात्मक प्रकटीकरण प्रतिभूतिकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण आवश्यकता जिसमें यह चर्चा शामिल है:	
	प्रतिभूतिकरण गतिविधि के संबंध में बैंक के उद्देश्य, जिसमें इन गतिविधियों से बैंक द्वारा अंतर्निहित प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र के ऋण जोखिम को अन्य संस्थाओं को अंतरित करना भी शामिल हैं।	शून्य
	प्रतिभूतिकृत आस्तियों में अंतर्निहित अन्य जोखिमों का स्वरूप (उदाहरण के लिए चलनिधि जोखिम)	लागू नहीं है
	प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया में बैंक द्वारा निभाई गई विभिन्न भूमिकाएँ (उदाहरण के लिए: प्रवर्तक, निवेशक, सेवा प्रदाता, ऋण वृद्धि प्रदाता, चलनिधि प्रदाता, स्वैप प्रदाता@, संरक्षण प्रदाता#) तथा प्रत्येक में बैंक की भागीदारी की सीमा @ यदि विनियामक नियमों के अधीन अनुमति हो तो अंतर्निहित आस्तियों की ब्याज दर/मुद्रा जोखिम न्यूनीकरण के लिए किसी ब्याज दर स्वैप अथवा मुद्रा स्वैप के रूप में धारित सीमा में प्रतिभूतिकरण संरचना में किसी बैंक द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। # यदि विनियामक नियमों के अनुसार अनुमति हो तो बैंक गारंटी, ऋण डेरिवेटिव्स अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य उत्पाद के माध्यम से किसी प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए ऋण सुरक्षा प्रदान की जा सकती है।	लागू नहीं है
	प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के ऋण तथा बाजार जोखिम में परिवर्तन की मॉनिटरिंग के लिए प्रक्रियाओं का विवरण (उदाहरण के लिए, अंतर्निहित आस्तियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव प्रतिभूति एक्सपोज़र को कैसे प्रभावित करता है, जैसाकि एनसीएएफ पर 1 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र के पैरा 5.16.1 में परिभाषित किया गया है)।	लागू नहीं है
	प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर्स के माध्यम से बने जोखिमों के न्यूनीकरण के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए बैंक की नीति का विवरण;	लागू नहीं है
(ख)	प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के लिए बैंक की लेखा नीतियों का सारांश, जिसमें शामिल हैं:	
	क्या लेनदेनों को बिक्री या वित्तपोषण माना गया है;	लागू नहीं है

गुणात्मक प्रकटीकरण		
	बनाए रखी गई या खरीदी गई स्थिति के मूल्यांकन हेतु लागू की गई पद्धतियाँ व प्रमुख पूर्वानुमान (इनपुट सहित);	लागू नहीं है
	पिछली अवधि से पद्धतियों तथा प्रमुख अवधारणाओं में परिवर्तन व उन परिवर्तनों का प्रभाव;	लागू नहीं है
	उन व्यवस्थाओं के लिए जिनके लिए बैंक को जिन प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है, उनके लिए तुलनपत्र में देनदारियों को पहचानने की नीतियाँ।	लागू नहीं है
(ग)	बैंकिंग बही में, प्रतिभूतिकरण के लिए उपयोग किए गए ईसीएआई के नाम तथा प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक एजेंसी का उपयोग किया गया है।	लागू नहीं है
मात्रात्मक प्रकटीकरण: बैंकिंग बही		
(घ)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र की कुल राशि	शून्य
(ङ)	वर्तमान अवधि के दौरान बैंक द्वारा लेखे में शामिल की गई प्रतिभूतिकृत हानियों, एक्सपोज़र के प्रकार (जैसे क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, वाहन ऋण इत्यादि का अंतर्निहित प्रतिभूति सहित विस्तृत विवरण) वर्गीकृत किया गया है।)	शून्य
(च)	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकरण के लिए संभावित आस्तियों की राशि	शून्य
(छ)	(एफ़) में से, प्रतिभूतिकरण से पहले एक वर्ष के भीतर प्रवर्तित आस्तियों की राशि।	लागू नहीं है
(ज)	प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र की कुल राशि (एक्सपोज़र प्रकार के अनुसार) तथा उस एक्सपोज़र प्रकार के अनुसार बिक्री पर लाभ या हानि जिसे लेखे में शामिल नहीं किया गया है।	शून्य
(झ)	निम्नलिखित की कुल राशि:	
	तुलन पत्र में बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र का उसके प्रकार के अनुसार विवरण तथा	शून्य
	तुलन पत्र में शामिल न किया गया प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र का उसके प्रकार के अनुसार	शून्य
(त्र)	बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र और उससे संबंधित पूंजी खर्च की कुल राशि, एक्सपोज़र के अनुसार अलग-अलग तथा आगे विनियामक द्वारा अलग-अलग जोखिम के लिए निर्धारित भार बैंड के अनुरूप अलग-अलग जोखिम भार का उल्लेख	शून्य
	पूरी तरह से टियर 1 पूंजी से घटाए गए एक्सपोज़र, कुल पूंजी से घटाए गए ऋण बढ़ाने वाले आई/ओ तथा कुल पूंजी से घटाए गए अन्य एक्सपोज़र हैं (एक्सपोज़र प्रकार के अनुसार)	शून्य
मात्रात्मक प्रकटीकरण: ट्रेडिंग बही		
(ट)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र की कुल राशि जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोज़र यथावत बनाए रखा है तथा जिसका आकलन बाजार जोखिम पद्धति दृष्टिकोण के अनुसार किया गया है, एक्सपोज़र प्रकार के अनुसार विवरण	शून्य
(ठ)	निम्नलिखित की कुल राशि:	
	तुलन पत्र में यथावत बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र का विवरण, एक्सपोज़र प्रकार के अनुसार; तथा	शून्य
	तुलन पत्र में शामिल न किए गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र का विवरण; एक्सपोज़र प्रकार के अनुसार	शून्य
(ड)	निम्नलिखित के लिए यथावत बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र की कुल राशि:	शून्य
	विशिष्ट जोखिम के लिए संपूर्ण व्यापक जोखिम उपाय के अधीन बनाए रखा गया या खरीदा गया प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र, तथा	शून्य
	अलग-अलग जोखिम भार श्रेणियों में विभाजित विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूतिकरण संरचना के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र।	शून्य
(ढ)	निम्नलिखित की कुल राशि:	
	विभिन्न जोखिम भार श्रेणियों में विभाजित प्रतिभूतिकरण संरचना के अधीन, प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के लिए पूंजी आवश्यकताएँ।	शून्य
	पूरी तरह से टियर 1 पूंजी से घटाए गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र, कुल पूंजी से घटाए गए ऋण संवर्धन वाले आई/ओ तथा कुल पूंजी से घटाए गए अन्य एक्सपोज़र (एक्सपोज़र प्रकार अनुसार)	शून्य

डीएफ़-7: ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार

अ) गुणात्मक प्रकटीकरण:

(1) बैंक बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता की गणना करने के लिए मानकीकृत मापन पद्धति (एसएमएम) का अनुसरण करता है।

(2) बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित अभिशासन संरचना के अनुसार बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग के अंतर्गत बाज़ार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) कार्य कर रहा है।

(3) एमआरएमडी ट्रेजरी परिचालनों से जुड़े बाजार जोखिम की पहचान, उनके आकलन, निगरानी तथा रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है।

(4) प्रत्येक आस्ति वर्ग के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित, सुपरिभाषित बाजार जोखिम प्रबंधन मानकों सहित निम्नलिखित नीतियां लागू की हैं:

क) बाजार जोखिम प्रबंधन नीति

ख) बाजार जोखिम सीमाएं

ग) निवेश नीति

घ) ट्रेडिंग नीति

ङ) बाजार जोखिम के लिए दबाव जांच नीति

(5) जोखिम निगरानी एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है तथा इसमें जोखिम की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है तथा बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति व बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को सूचित किया जाता है।

(6) जोखिम प्रबंधन तथा उसकी रिपोर्टिंग वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप आशोधित अवधि, पीवी01, ऑप्शन ग्रीक, अधिकतम अनुमत एक्सपोज़र, जोखिम मूल्य सीमा, संकेंद्रण जोखिम सीमा, निम्न व ऊपरी प्रबंधन कार्रवाई ट्रिगर जैसे मापदंडों पर आधारित हैं।

(7) बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा खुली स्थिति सीमा (दैनिक/एकदिवसीय), हानि रोध सीमा, सकल अंतराल सीमा (एजीएल), एकल अंतराल सीमा (आईजीएल) की निगरानी की जाती है और यदि कोई अपवाद हो, तो इसकी सूचना बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति तथा बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को दी जाती है।

(8) जोखिम पर मूल्य (वीएआर) की गणना दैनिक आधार पर की जाती है। वीएआर संख्या की बैक-टेस्टिंग प्रतिदिन की जाती है। मूल्य जोखिम के पूरक के रूप में त्रैमासिक अंतराल पर दबाव परीक्षण किया जाता है। इसके परिणाम बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को सूचित किए जाते हैं।

(9) विदेश स्थित संबंधित कार्यालय स्थानीय विनियामक और भारतीय रिजर्व बैंक की शर्तों के अनुसार अपने निवेश पोर्टफोलियो के जोखिम की निगरानी करते हैं। एकल निवेश के लिए हानि रोध सीमा तथा कतिपय पोर्टफोलियो के लिए एक्सपोज़र सीमा निर्धारित की गई है।

(10) बैंक ने बाजार जोखिम हेतु पूंजी प्रभार की गणना के लिए उन्नत दृष्टिकोण पद्धति अर्थात आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण पद्धति अपनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आशय पत्र (एलओआई) प्रस्तुत किया है।

ब) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

बाजार जोखिम पर पूंजी प्रभार

बैंक मानकीकृत माप पद्धति के अंतर्गत बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार को निम्नानुसार बनाए रखता है।

(करोड़ रुपए में)

	31.03.2022
ब्याज दर जोखिम (डेरिवेटिव सहित)	14,552.67
इक्विटी स्थिति जोखिम	10,194.22
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम	902.64
कुल	**25,649.53**

डीएफ़-8: परिचालन जोखिम

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना और संगठन

- भारतीय स्टेट बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन विभाग, बैंक की एकीकृत जोखिम अभिशासन संरचना के अंतर्गत संबंधित मुख्य जोखिम अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करता है। भारतीय स्टेट बैंक में, मुख्य जोखिम अधिकारी बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को रिपोर्ट करते हैं।
- समूह की अन्य इकाइयों में परिचालन जोखिम संबंधी मुद्दों को संबंधित इकाइयों के मुख्य जोखिम अधिकारियों के समग्र नियंत्रण में उनके व्यवसाय मॉडल तथा विनियामकों की आवश्यकताओं अनुसार निपटाया जा रहा है।

ख) भारतीय स्टेट बैंक में परिचालन जोखिम पर नियंत्रण एवं न्यूनीकरण नीतियां

घरेलू बैंकिंग संस्थाएं (एसबीआई)

एसबीआई में निम्नलिखित नीतियां, रूपरेखा दस्तावेज़ और मैनुअल लागू हैं:

नीतियाँ और रूपरेखा दस्तावेज़

- परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति में, व्यवस्थित और अतिसक्रिय पहचान, आकलन, मापन, निगरानी, न्यूनीकरण तथा परिचालन जोखिमों की रिपोर्टिंग के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन तंत्र शामिल है।
- लॉस डेटा प्रबंधन नीति;
- बाह्य लॉस डेटा प्रबंधन नीति;
- सूचना सुरक्षा नीति और मानक;
- आईटी नीति;
- साइबर सुरक्षा नीति
- समूह साइबर सुरक्षा नीति
- व्यवसाय निरंतरता एवं परिचालन आघात-सहनीयता (बीसीएंडओआर) नीति;
- व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) नीति;
- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानक तथा धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद वित्तपोषण निवारक उपायों संबंधी नीति;
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति;
- बैंक की आउटसोर्सिंग नीति;
- बीमा पर नीति;

नियम पुस्तिका (मैनुअल)

- परिचालन जोखिम प्रबंधन मैनुअल
- लॉस डेटा प्रबंधन मैनुअल
- व्यापार निरंतरता और परिचालन आघात-सहनीयता (बीसीएंडओआर) मैनुअल
- व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) योजना
- बाह्य लॉस डेटा मैनुअल

घरेलू गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयां

गैर-बैंकिंग संस्थाओं के लिए उनके व्यवसायिक मॉडल से संबंधित तथा विदेश स्थित बैंकिंग अनुषंगियों के संबंध में विदेशी विनियामकों की आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां व मैनुअल विद्यमान हैं। कुछ विद्यमान नीतियां इस प्रकार हैं- आपदा प्रबंधन योजना/व्यापार निरंतरता योजना, घटना रिपोर्टिंग तंत्र, नियर मिस इवेंट रिपोर्टिंग तंत्र, आउटसोर्सिंग नीति इत्यादि।

ग) रणनीतियाँ और प्रक्रियाएँ

घरेलू बैंकिंग संस्थाएं (एसबीआई)

- जोखिम संस्कृति और परिचालन जोखिम प्रबंधन को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) के अलावा बैंक में विभिन्न स्तरों पर जोखिम प्रबंधन समितियां जैसे मंडलों में आरएमसीएओ, आरएमसीसी तथा व्यवसाय एवं सहायता समूहों (आरएमसी-आर एंड डीबी, आरएमसी-आईबीजी, आरएमसी-जीएमयू, आरएमसी-सीएजी, आरएमसी-सीसीजी, आरएमसी-एसएआरजी और आरएमसी-आईटी) में आरएमसी स्थापित की गई हैं।
- बेसल परिभाषित 8 बिजनेस लाइन और 7 लॉस इवेंट टाइप अनुसार परिचालन जोखिमों के कारण आंतरिक और बाह्य हानि का एक व्यापक डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया मौजूद है। इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को बेहतर बनाने के लिए नियर मिस इवेंट तथा बाह्य हानि को भी कैप्चर किया जाता है।
- जोखिम तथा नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) वर्तमान नियंत्रणों में यदि कोई कमी हो तो उनकी पहचान के लिए कार्यशाला-आधारित एक अति-सक्रिय अभ्यास कार्य है। इसमें जोखिम न्यूनीकरण के लिए सिस्टम और नियंत्रण में सुधार के लिए सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। आरसीएसए से स्टाफ सदस्यों में जोखिम के प्रति जागरूकता पैदा करने में भी सहायता मिलती है। आरसीएसए अभ्यास वार्षिक आधार पर बैंक शाखाओं, सीपीसी और कार्यालयों में किया जाता है। बैंक उत्पादों /प्रक्रियाओं के लिए थीम आधारित आरसीएसए भी आयोजित करता है। वित्त वर्ष 22 के दौरान, बैंक ने 16 थीम-आधारित आरसीएसए अभ्यास आयोजित किए हैं और 44 उत्पादों/प्रक्रियाओं के लॉन्च/समीक्षा के समय आरसीएसए अभ्यास (साइन ऑफ) आयोजित किए गए, जोखिम न्यूनीकरण योजनाएँ बनाई गईं तथा उच्च एवं महत्वपूर्ण जोखिमों के लिए कार्यान्वयित की गईं। आरसीएसए अभ्यास के दौरान, बैंक प्रणाली एवं नियंत्रण में अधिक सुधार के लिए प्राप्त सुझावों पर व्यवसाय धारकों द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन किया जाता है।
- आरंभिक एवं निगरानी प्रणाली से सभी व्यवसाय एवं सहायता समूह में प्रमुख प्रमुख संकेतक (केआई) की पहचान की गई है। आरएमसी, ओआरएमसी और आरएमसीबी द्वारा तिमाही अंतराल पर केआई की निगरानी की जा रही है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान गहन अनुवर्ती कार्रवाई के लिए 10 शीर्ष केआई की पहचान की गई है।
- बेसल-II दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित परिचालन जोखिम की मात्रा निर्धारित करने और उसकी निगरानी के लिए आंतरिक प्रणालियों का विकास किया गया है।

अन्य

घरेलू बैंकिंग संस्थाओं में परिचालन जोखिमों को नियंत्रित करने और उनके न्यूनीकरण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

- "अनुदेश पुस्तिका" (सामान्य अनुदेशों पर मैनुअल, ऋण और अग्रिमों पर मैनुअल) जारी की है हैं, जिनमें विभिन्न बैंकिंग लेनदेनों की प्रक्रियाओं के लिए विस्तृत प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश दिए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में आशोधन तथा नियमित रूप से ई-परिपत्रों/मास्टर परिपत्रों के माध्यम से उन्हें अद्यतन किया जा रहा है। दिशानिदेशों तथा अनुदेशों को ई-परिपत्रों, ई-लर्निंग पाठ, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से भी प्रचारित किया जाता है।
- व्यवसाय प्रक्रिया पुनः निर्धारण (बीपीआर) इकाइयों से संबंधित अद्यतन नियमावली तथा परिचालन अनुदेश।
- वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन, जिसमें विभिन्न प्रकार के वित्तीय तथा गैर-वित्तीय लेनदेनों के लिए विभिन्न स्तर के अधिकारियों के संस्वीकृति अधिकारों का विवरण दिया गया है।
- स्टाफ प्रशिक्षण- बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों और स्टेट बैंक ज्ञानार्जन एवं विकास संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के कार्मिकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जोखिम प्रबंधन मॉड्यूल के एक भाग के रूप में परिचालन जोखिम पर जानकारी को शामिल किया गया है।
- बीमा पर बैंक की नीति के अनुसार धोखाधड़ी को छोड़कर अधिकांश संभावित परिचालन जोखिमों के लिए बीमा कवर प्राप्त किया जाता है।
- आंतरिक लेखा परीक्षक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता तथा प्रभावशीलता की जांच एवं मूल्यांकन तथा कतिपय नियंत्रण प्रक्रियाओं की कार्यशीलता के लिए उत्तरदायी हैं। वे विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं, आचार संहिताओं एवं नीतियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान प्रणालियों की समीक्षा भी करते हैं।
- किसी आपदा के बाद व्यवसाय निरंतरता महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं की बहाली और पुनर्प्राप्ति के लिए एक सुदृढ़ व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन नीति तथा मैनुअल बैंक में मौजूद हैं।
- अवकाश नीति का सख्ती से अनुपालन।
- जिन शाखाओं में आरसीएसए प्रस्तावित नहीं है, वहाँ आरसीएसए-संक्षिप्त का संचालन।

घरेलू गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयां

घरेलू गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयों में प्रणालियों व प्रक्रियाओं तथा रिपोर्टिंग के माध्यम से पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

घ) **जोखिम रिपोर्टिंग एवं मापन प्रणालियों का दायरा व स्वरूप**

- समूह की सभी इकाइयों में धोखाधड़ी के संबंध में रिपोर्टों को शीघ्र प्रस्तुत करने की एक प्रणाली विद्यमान है।
- समूह की सभी इकाइयों में निवारक सतर्कता और व्हिसल ब्लोइंग की एक व्यापक प्रणाली स्थापित है।
- सभी शाखाओं के आरसीएसए/आरसीएसए-संक्षिप्त अभ्यास से सामने आए महत्वपूर्ण जोखिमों के लिए परिदृश्य विश्लेषण तथा लॉस डेटा/एनएमई विश्लेषण के संबंध में नियमित अंतराल पर शीर्ष प्रबंधन को सूचित किया जाता है और निरंतर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।
- 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए परिचालन जोखिम हेतु विगत 3 वर्षों की औसत सकल आय के 15% के पूंजीगत भार के साथ मौलिक संकेतक दृष्टिकोण पद्धति लागू की गई है, बीमा कंपनियों को छोड़ दिया गया है।

डीएफ़-9: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार

1. गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

आंतरिक एवं बाह्य कारकों के कारण बैंक की ब्याज दर में होने वाले उतार-चढ़ाव से निवल ब्याज आय तथा आस्तियों एवं देयताओं के मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव को ब्याज दर जोखिम कहा जाता है। आंतरिक कारकों में बैंक की आस्ति एवं देयताओं की संरचना, गुणवत्ता, परिपक्वता, वर्तमान ब्याज दर तथा जमाराशियों, उधार, ऋण एवं निवेशन की पुनर्मूल्यन अवधि शामिल हैं। बाह्य कारकों में सामान्य आर्थिक स्थितियों आती हैं। बैंक पर बढ़ती या घटती ब्याज दरों का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि तुलनपत्र आस्ति संवेदनशील है या देयता संवेदनशील। बैंक अपने तुलनपत्र में शामिल तथा तुलनपत्र-इतर एक्सपोज़र पर बदलती ब्याज दरों से जुड़े अंतर्निहित जोखिमों की पहचान अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों दृष्टिकोणों से करता है।

1.1 संरचना और संगठन

आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तुलनपत्र जोखिमों की लगातार पहचान एवं विश्लेषण तथा बैंक की एएलएम नीति के माध्यम से इन जोखिमों के कुशल प्रबंधन हेतु मानकों को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए, एएलसीओ समय-समय पर जोखिम और प्रतिलाभों, निधियों एवं विनियोजन, बैंक के ऋण व जमाराशियों पर ब्याज दर निर्धारण तथा निवेश संबंधी गतिविधियों के संबंध में निदेश देने आदि की निगरानी व नियंत्रण करती है। निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) एएलएम 2 प्रणाली के कार्यान्वयन को देखती है तथा समय-समय पर इसके कामकाज की समीक्षा करती है और दिशानिर्देश देती है। यह, ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए एएलसीओ द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा करता है।

1.2 जोखिम रिपोर्टिंग और मापन प्रणालियों का क्षेत्र तथा स्वरूप

भारतीय रिजर्व बैंक ने पारंपरिक अंतराल विश्लेषण (आईआरएस-टीजीए) के अंतर्गत ब्याज दर संवेदनशीलता के विवरण के माध्यम से मासिक अंतराल पर ब्याज दर जोखिम की निगरानी निर्धारित की है। तदनुसार, एएलसीओ मासिक आधार पर आईआरएस-टीजीए की समीक्षा करती है और जोखिम पर आय (ईएआर) की मॉनिटरिंग करती है। आस्तियों व देयताओं पर ब्याज दर में समानांतर परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में परिवर्तन का आकलन करती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक की आस्तियों और देयताओं के आर्थिक मूल्य पर अवधि अंतर विश्लेषण के अंतर्गत ब्याज दर संवेदनशीलता के माध्यम से ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान करने का भी निर्देश दिया है। बैंकयह विश्लेषण मासिक आधार पर करता है। इक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दर में बदलाव का प्रभाव बाज़ार ब्याज दर में हुए परिवर्तनों को देखते हुए आस्ति व देयताओं के मूल्य में परिवर्तन को पहचानकर आईआरएस-डीजीए के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाती है। इक्विटी के मूल्य में (आरक्षितियों सहित) तथा आस्ति एवं देयताओं की ब्याज दर में 2% समानांतर परिवर्तन का अनुमान है।

जोखिम पर अर्जन (ईएआर): ब्याज दरों में परिवर्तन का तुरंत प्रभाव बैंक की निवल ब्याज आय (एनआईआई) में परिवर्तन से अर्जन पर पड़ता है। जोखिम पर अर्जन, लघु अवधि में (एक वर्ष में प्रभाव) एनआईआई पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव की गणना के लिए उपयोगी है। जोखिम पर अनर्जन गणना में बैंकिंग बही तथा ट्रेडिंग बही दोनों शामिल हैं।

इक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीई): ब्याज दरों में परिवर्तन का दीर्घकालिक प्रभाव बैंक की देयताओं एवं तुलन पत्र बाह्य स्थितियों के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन के माध्यम बैंक के इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) या निवल मालियत पर पड़ता है। यद्यपि मूल्य में इन परिवर्तनों का प्रभाव आय पर नहीं पड़ता, फिर भी इनका प्रभाव बैंक की पूंजी की स्थिति पर पड़ता है।

बैंक अपने घरेलू तथा विदेश में परिचालन के लिए आईआरआरबीबी को प्रबंधित करने के ढाँचे के हिस्से के रूप में एमवीई दृष्टिकोण का उपयोग करता है। एमवीई के प्रभाव का आकलन संपूर्ण बैंक तथा बैंकिंग बही पर अलग से किया जाता है। आईआरआरबीबी की प्रभावी ढंग से मॉनिटरिंग करने के लिए, एएलएम नीति में संपूर्ण बैंक तथा बैंकिंग बही के लिए भिन्न-भिन्न एमवीई सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

1.3 जोखिम हेजिंग तथा न्यूनीकरण नीतियां

बैंक में, हेजिंग लेनदेन करने के लिए एक नीति विद्यमान है। अंतर्निहित तथा तात्कालिक बाज़ार परिस्थितियों के आधार पर बैंक निर्धारित आस्तियों तथा देयताओं के लिए हेजिंग लेनदेन करता है। ब्याज दर स्वैप, ओआईएस, फॉरवर्ड दर करार तथा क्रॉस मुद्रा स्वैप जैसी डेरिवेटिव लिखतों को बैंक द्वारा हेजिंग तकनीक के रूप में प्रयोग किया जाता है।

2. मात्रात्मक प्रकटीकरण

2.1 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, यील्ड वक्र में समानांतर परिवर्तन को मानते हुए, ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण एनआईआई पर अनुमानित प्रभाव निम्नलिखित तालिका में बताया गया है):

जोखिम पर अर्जन (ईएआर)

(रुपए करोड़ में)

	निवल ब्याज दर पर प्रभाव
निवल ब्याज आय (एनआईआई) पर आस्तियों एवं देयता दोनों पर ब्याज दर में 100 बीपीएस के समानांतर परिवर्तन का प्रभाव	7,424.02
निवल ब्याज आय (एनआईआई) पर आस्तियों एवं देयता दोनों पर ब्याज दर में 200 बीपीएस के समानांतर परिवर्तन का प्रभाव	14,848.04

2.2 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, यील्ड वक्र में समानांतर परिवर्तन को मानते हुए, ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण एमवीई पर अनुमानित प्रभाव निम्नलिखित टेबल में बताया गया है):

इक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीई)

(रुपए करोड़ में)

	एमवीई पर प्रभाव
इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई)- बैंकिंग बही पर आस्ति एवं देयता दोनों पर ब्याज दर में 100 बीपीएस समानांतर परिवर्तन का प्रभाव	20,773.16
इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई)- बैंकिंग बही पर आस्ति एवं देयता दोनों पर ब्याज दर में 200 बीपीएस समानांतर परिवर्तन का प्रभाव	41,546.32

डीएफ़-10: काउंटरपार्टी ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोज़र के लिए सामान्य प्रकटीकरण

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा घरेलू बैंकों, विदेशी बैंकों, विकास वित्तीय संस्थानों, प्राथमिक डीलरों, लघु वित्त बैंकों तथा पेमेंट बैंकों के लिए काउंटरपार्टी एक्सपोज़र की सीमा राशि निर्धारित करने के लिए स्कोरिंग मॉडल का उपयोग किया जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग, बैंक की सभी व्यावसाय इकाइयों अर्थात सीएजी, सीसीजी, आरएंडडीबी, ग्लोबल मार्केट तथा आईबीजी को एक्सपोज़र सीमा का आवंटन करता है, इस एक्सपोज़र सीमा का आवंटन इन इकाइयों द्वारा अपनी विभिन्न परिचालन इकाइयों के बीच किया जाता है।

संपार्श्विक प्रतिभूतियों का वर्गीकरण तथा पहचान

बैंक आंतरिक संस्वीकृति तथा/अथवा विनिमायक पूंजीगत छूट प्रयोजनों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति की स्वीकृति, पहचान तथा मूल्य निर्धारण केवल तभी करता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी कर ली गई हों:

- सभी प्रासंगिक अधिकारी क्षेत्रों में प्रतिभूति की प्रवर्तनीयता तथा प्रभावकारिता विधिक रूप से सुनिश्चित हो।
- ऋण और संपार्श्विक दस्तावेजों के संबंध में सभी संविदात्मक एवं सांविधिक आवश्यकताएं पूरी कर ली गई हों।
- बैंक ने संबंधित संपार्श्विक के लिए विधिक प्रभार (प्रथम विधिक ऋण-प्रभार के अतिरिक्त द्विवितीयक/गौण या सममात्रा ऋण प्रभार भी) प्राप्त कर लिया हो।
- इस विधिक प्रणाली के अंतर्गत संपार्श्विक प्रतिभूति को गिरवी रखा जाता है या अंतरित किईया जाता है, काउंटर पार्टी या अन्य पक्ष द्वारा चूक करने, दिवालिया हो जाने की स्थिति में उस प्रणाली में प्रतिभूति के समय पर परिसमापन करने या कब्जे में लेने का अधिकार बैंक को हो।
- संपार्श्विक प्रतिभूति के समय पर परिसमापन हेतु बैंक में स्पष्ट व सुदृढ़ कार्यविधि उपलब्ध है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि काउंटर पार्टी द्वारा की गई चूक को घोषित करने तथा संपार्श्विक प्रतिभूति के परिसमापन के लिए विधिक शर्तें पूरी की गई हैं तथा संपार्श्विक प्रतिभूति का परिसमापन तत्काल किया जा सकता है।

आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) पूंजी पात्रता की गणना के लिए संपार्श्विक द्वारा आरबीआई, आईआरबी दिशानिर्देशों में दिए गए सभी परिचालन मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है।

किसी लेनदेन के नकदी प्रवाह से पूर्व डेरिवेटिव्स लेनदेन की काउंटर पार्टी की चूक से उत्पन्न जोखिम को काउंटर पार्टी जोखिम कहा जाता है। इस जोखिम के न्यूनीकरण के लिए डेरिवेटिव्स लेनदेन केवल उन्हीं पार्टियों के साथ किए जाते हैं जिन्हें ऋण सीमाएं अनुमोदित की गई हैं। बैंक

के लिए काउंटर पार्टी सीमा का आकलन अनेक वित्तीय मानदंडों जैसे निवल मालियत, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, रेटिंग इत्यादि को ध्यान में रखकर आंतरिक मॉडलों का उपयोग करके किया जाता है। कॉर्पोरेटों की डेरिवेटिव्स सीमा का आकलन तथा संस्वीकृति का संयोजन नियमित ऋण सीमा के हिस्से के रूप में किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

(रुपए करोड़ में)

आनुमानिक एवं चालू ऋण एक्सपोज़र का संवितरण	अनुमानिक	वर्तमान ऋण एक्सपोज़र	राशि के अंतर्गत वर्तमान ऋण पद्धति (सीईएम)
ए) ब्याज दर स्वैप	449379.42	2389.06	6514.86
बी) क्रॉस मुद्रा स्वैप	67169.89	498.09	1683.45
सी) मुद्रा ऑप्शन्स	85719.09	966.57	8484.05
डी) विदेशी मुद्रा संविदाएँ	1063804.12	6779.84	32442.73
ई) मुद्रा फ्यूचर्स	-	-	-
एफ़) फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स	-	-	-
G) अन्य (कृपया उत्पाद का नाम बताएं) - एनडीएफ	160758.96	1120.13	4335.30
कुल	**1826890.26**	**11753.69**	**53460.40**
क्रेडिट डेरिवेटिव्स लेन-देन	शून्य		

डीएफ़-11: पूंजी संरचना

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार

(रुपए करोड़ में)

31 मार्च, 2017 से बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट का प्रयोग किया जा रहा है

कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी: लिखतें एवं आरक्षित निधियाँ			**संदर्भ सं. (डीएफ़-12: चरण 2 के संबंध में)**
1	सीधे जारी की गई अर्हता कॉमन शेयर पूंजी तथा संबंधित स्टॉक्स अधिशेष (शेयर लाभांश)	80007.93	A1 + B3
2	यथावत रखा गया अर्जन	170887.83	B1 + B2 + B7 + B8 + B9 (#)
3	अन्य कुल संचित आय (तथा अन्य आरक्षितियाँ)	18960.96	B5 * 75% + B6 * 45%
4	सीईटी 1 से कटौती के अधीन सीधे जारी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0.00	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी कॉमन शेयर पूंजी तथा तीसरे पक्ष द्वारा प्रतिधारित (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि)	1783.10	
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी	271639.82	
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	747.37	
8	साख (संबंधित कर देयता के पश्चात)	1550.02	D
9	अमूर्त (संबंधित कर देयता के पश्चात)	21.31	
10	आस्थगित कर आस्तियां	37.38	
11	नकदी-प्रवाह हेज रिजर्व	0.00	
12	संभावित हानियों के लिए प्रावधानों की कमी	0.00	
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ	0.00	
14	उचित मूल्य की देयताओं पर स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि	0.00	
15	नियत-लाभ पेंशन फंड निवल आस्तियाँ	0.00	

(रुपए करोड़ में)

31 मार्च, 2017 से बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट का प्रयोग किया जा रहा है

			संदर्भ सं. (डीएफ़-12: चरण 2 के संबंध में)
16	अपने शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलनपत्र में पहले से कम नहीं किया गया हो तो)	176.77	
17	कॉमन इक्विटी में पारस्परिक क्रॉस-होल्डिंग	150.50	
18	उन बैंकिंग, वित्त तथा बीमा संस्थाओं की कॉमन पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन के कार्य के क्षेत्र के बाहर हैं तथा जहां पात्र अधिविक्रय को घटाने के बाद जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है (10% की प्रारम्भिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	
19	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं के कॉमन स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश जो नियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, पात्र शॉर्ट पोजीशन घटाकर (10% की प्रारम्भिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (10% की प्रारम्भिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	
21	अस्थायी अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता घटाने के बाद 10% की प्रारम्भिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	
22	15% की प्रारम्भिक सीमा से अधिक राशि	0.00	
23	इसमें से: वित्तीय संस्थाओं के कॉमन स्टॉक में महत्त्वपूर्ण निवेश	0.00	
24	इसमें से: बंधक सर्विसिंग अधिकार	0.00	
25	इसमें से: अस्थायी अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00	
26	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी)	1331.49	
26ए	इसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	1319.68	
26बी	इसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	11.81	
26सी	इसमें से: बैंक के साथ समेकित न की गई, आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं कि इक्विटी पूंजी में कमी	0.00	
26डी	इसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0.00	
27	कटौतियों को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 1 तथा टियर 2 के कारण कॉमन टियर 1 इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन	0.00	
28	कॉमन टियर 1 इक्विटी में कुल विनियामक समायोजन	4014.84	
29	सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी (सीईटी 1)	267624.98	
अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी : लिखतें			
30	सीधे जारी किए गए अर्हता अतिरिक्त टियर 1 लिखते तथा संबंधित स्टॉक आधिक्य (शेयर लाभांश) (31+32)	36709.70	
31	इसमें से: लागू लेखा मानकों के अंतर्गत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमियादी गैर-संचयी अधिमान शेयर)	0.00	
32	इसमें से: लागू लेखा मानकों के अंतर्गत देयता के रूप में वर्गीकृत (बेमियादी ऋण लिखते)	36709.70	
33	अतिरिक्त टियर 1 में से कम करने के लिए सीधे जारी की गई पूंजी लिखतें	0.00	
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्ष द्वारा अतिरिक्त टियर 1 लिखत (तथा सीईटी लिखितें पंक्ति 5 में शामिल नहीं की गई हैं) (राशि समूह एटी 1 में अनुमत)	334.33	
35	इसमें से: अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें जो कम होने वाली हैं	0.00	
36	विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	37044.03	

(रुपए करोड़ में)

31 मार्च, 2017 से बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट का प्रयोग किया जा रहा है

			संदर्भ सं. (डीएफ़-12: चरण 2 के संबंध में)
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन			
37	अपनी अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	0.00	
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रति-धारणाएँ	0.00	
39	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर की बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय पोजीशन को घटाने के बाद जहाँ जारी की गई कॉमन शेयर पूंजी के 10% से अधिक नहीं है (राशि 10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	
40	विनियामक समेकन क्षेत्र से बाहर की बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र अधिविक्रय स्थिति को छोड़कर)	0.00	
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	0.00	
41ए	इसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों कि अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	0.00	
41बी	इसमें से: बैंक के साथ समेकित न की गई आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	0.00	
42	कटौतियों को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण कॉमन टियर 1 पर लागू किए गए विनियामक समायोजन	0.00	
43	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के प्रति कुल विनियामक समायोजन	0.00	
44	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1)	37044.03	
45	टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44)	304669.01	
टियर 2 पूंजी: लिखतें तथा प्रावधान			
46	सीधे जारी अर्हक टियर 2 लिखतें तथा संबंधित स्टॉक आधिक्य	32062.70	
47	टियर 2 से कम की जाने वाली, धे जारी पूंजीगत लिखतें	381.60	
48	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा धारित टियर 2 लिखतें (तथा सीईटी 1 व एटी 1 लिखते जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं की गई हैं) (टियर 2 समूह में अनुमत राशि)	777.57	
49	इनमें से : अनुषंगियों द्वारा जारी लिखते, जो कम होने वाली हैं।	0.00	
50	प्रावधान	28260.11	
51	विनियमन समायोजन से पूर्व टियर2 पूंजी	61481.98	
टियर 2 पूंजी: विनियामक समायोजन			
52	अपनी टियर 2 लिखतों में निवेश	61.80	
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस-होल्डिंग	98.89	
54	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर की बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय पोजीशन को घटाने के बाद जहाँ जारी की गई कॉमन शेयर पूंजी के 10% से अधिक नहीं है (राशि 10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	
55	विनियामक समेकन क्षेत्र से बाहर की बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र अधिविक्रय स्थिति को छोड़कर)	14.16	
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	0.00	
56ए	इनमें से : असमेकित बीमा अनुषंगियों कि अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में निवेश	0.00	
56बी	इनमें से: बैंक के साथ समेकित न की गई आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में निवेश	0.00	

(रुपए करोड़ में)

31 मार्च, 2017 से बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट का प्रयोग किया जा रहा है

			संदर्भ सं. (डीएफ़-12: चरण 2 के संबंध में)
57	टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	174.85	
58	टियर 2 पूंजी (टी2)	61307.13	
59	कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58)	365976.14	
60	कुल ऋण भारित आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)	2608922.99	
60ए	इनमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियाँ	2024829.15	
60बी	इनमें से: कुल बाज़ार जोखिम भारित आस्तियाँ	320619.09	
60सी	इनमें से: कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियाँ	263474.75	
पूंजी अनुपात एवं बफर्स			
61	कॉमन इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	10.26	
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	11.68	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	14.03	
64	संस्था विशिष्ट बफर आवश्यकता (जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता तथा पूंजी संरक्षण तथा काउंटर साइक्लिकल बफर आवश्यकताएँ तथा जी-एसआईबी बफर आवश्यकता)	7.98	
65	इनमें से: पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	2.50	
66	इनमें से: बैंक विशिष्ट काउंटर चक्रीय बफर आवश्यकता	0.00	
67	इनमें से: डी-एसआईबी बफर आवश्यकता	0.60	
68	बफ़र्स को पूरा करने के लिए उपलब्ध कॉमन इक्विटी टियर1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	4.76	
राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बेसल III से भिन्न हो)			
69	राष्ट्रीय कॉमन इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो)	5.50	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो)	7.00	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो)	9.00	
कटौती के लिए प्रारंभिक सीमा से कम राशियाँ (जोखिम भार से पूर्व)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश	0.00	
73	अन्य वित्तीय संस्थाओं के कॉमन स्टॉक महत्वपूर्ण निवेश	562.67	
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता घटाकर)	0.00	
75	स्थायी अंतर के कारण आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता घटाकर)	0.00	
टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने पर लागू उच्चतम सीमा			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण पद्धति के अनुसार एक्सपोज़र को टियर 2 में शामिल किए जाने के लिए पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू करने से पहले)	28260.11	
77	मानकीकृत दृष्टिकोण पद्धति के आधार पर टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने की उच्चतम सीमा	25310.36	
78	आंतरिक रेटिंग-आधारित दृष्टिकोण पद्धति के अनुसार एक्सपोज़र को टियर 2 में शामिल किए जाने के लिए पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू करने से पहले)	0.00	
79	आंतरिक रेटिंग-आधारित दृष्टिकोण पद्धति के आधार पर टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने की उच्चतम सीमा	0.00	
फेज़आउट व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखतें (केवल 31 मार्च, 2017 तथा 31 मार्च, 2022 के बीच लागू)			
80	फ़ेज़आउट व्यवस्था के अधीन सीईटी 1 लिखतों की वर्तमान उच्चतम सीमा	0.00	

(रुपए करोड़ में)

31 मार्च, 2017 से बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट का प्रयोग किया जा रहा है

			संदर्भ सं. (डीएफ़-12: चरण 2 के संबंध में)
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 में शामिल न की गई राशि (मोचन तथा परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक राशि)	0.00	
82	फ़ेज़आउट व्यवस्था के अधीन एटी 1 लिखतों की वर्तमान उच्चतम सीमा	10%	
83	उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 में शामिल न की गई राशि (मोचन तथा परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक राशि)	0.00	
84	फ़ेज़आउट व्यवस्था के अधीन टी 2 लिखतों की वर्तमान उच्चतम सीमा	10%	
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 में शामिल न की गई राशि (मोचन तथा परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक राशि)		

टेम्पलेट के नोट

टेम्पलेट की पंक्ति संख्या	विवरण	(रुपए करोड़ में)
10	संचित हानियों सहित संबद्ध आस्थगित कर आस्तियाँ	37.38
	आस्थगित कर आस्तियाँ (संचित हानियों संबद्ध को छोड़कर) आस्थगित कर देयता को घटाकर	0.00
	कुल जो पंक्ति 10 में दर्शाया गया है	37.38
19	यदि बीमा अनुषंगियों में निवेश को पूरी तरह से पूंजी से नहीं घटाया गया है तथा उसके स्थान पट कटौती के लिए 10% प्रारंभिक सीमा अंतर्गत गणना में शामिल है तो उसके कारण बैंक की पूंजी में हुई वृद्धि	0.00
	इनमें से : कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	इनमें से: अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	इनमें से: टियर 2 पूंजी में वृद्धि	0.00
26बी	यदि गैर-समेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश को नहीं घटाया गया है तथा इसलिए, जोखिम भारित है:	0.00
	(i) कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	(ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	0.00
50	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	28260.11
	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुर्नमूल्यन आरक्षितियाँ	0.00
	पंक्ति 50 का कुल योग	28260.11

बी7: आय तथा अन्य आरक्षितियाँ, एकीकरण एवं विकास निधि (5 करोड़ रुपए) घटाकर है।

डीएफ़-12: पूंजी घटक-समाधान संबंधी अपेक्षाएँ

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार

(रुपए करोड़ में)

पूंजी घटक-समाधान संबंधी अपेक्षाएँ चरण 1		वित्तीय विवरण में तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे में तुलन पत्र
		रिपोर्टिंग की तारीख को	रिपोर्टिंग की तारीख को
क.	**पूंजी और देयताएं**		
i	प्रदत्त पूंजी	892.46	892.46
	आरक्षितियाँ एवं अधिशेष	304695.59	292336.68
	अल्प मदों पर ब्याज	11207.42	5124.63
	कुल पूंजी	316795.47	298353.77
ii	**जमा**	4087410.60	4088218.56
	इनमें से: बैंको में जमा राशियाँ	15299.38	15299.38
	इनमें से: ग्राहकों की जमा राशियाँ	4072111.22	4072919.18
	इनमें से: अन्य जमा राशियाँ (कृपया स्पष्ट करें)	-	-
iii	**उधार राशियाँ**	449159.78	449377.30
	इनमें से: आरबीआई से	24956.00	24956.00
	इनमें से: बैंको से	157462.64	157462.64
	इनमें से: अन्य संस्थाओं व एजेंसियों से	193336.92	193554.44
	इनमें से: अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	-	-
	इनमें से: पूंजी लिखतें	73404.22	73404.22
iv.	**अन्य देयताएं एवं प्रावधान**	507517.68	236510.19
	कुल	5360883.53	5072459.82
ख.	**आस्तियाँ**		
i	नकदी व भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष	258086.43	258014.98
	बैंकों के पास जमा तथा अल्प अवधि में मांग पर प्राप्य राशियाँ	140818.69	137475.84
ii	**निवेश**	1776489.90	1499357.42
	इनमें से: सरकारी प्रतिभूतियाँ	1285236.81	1197913.42
	इनमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	35636.87	270.94
	इनमें से: शेयर	90831.58	12616.55
	इनमें से: डिबेंचर और बांड	302009.09	248577.02
	इनमें से: अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम/ सहयोगी संस्थाएँ	14762.15	10730.36
	इनमें से: अन्य (कमर्शियल पेपर, म्युचुअल फंड इत्यादि)	48013.40	29249.13
iii	**ऋण एवं अग्रिम**	2794076.00	2793712.53
	इनमें से: बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	121050.79	121050.79
	इनमें से: ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	2673025.21	2672661.74
iv	**अचल आस्तियाँ**	39510.03	38689.97
v	अन्य आस्तियाँ	350352.46	343659.06
	इनमें से: साख	-	-
	इनमें से: अन्य अमूर्त आस्तियाँ (एमएसआर को छोड़कर)	-	-
	इनमें से: आस्थगित कर आस्तियाँ	6745.23	6727.74
vi	समेकन पर साख	1550.02	1550.02
vii	लाभ-हानि खाते में डेबिट शेष	-	-
	कुल आस्तियाँ	**5360883.53**	**5072459.82**

(रुपए करोड़ में)

	पूंजी घटक-समाधान संबंधी अपेक्षाएँ चरण 2	वित्तीय विवरण में तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे में तुलन पत्र	संदर्भ संख्या
		रिपोर्टिंग की तारीख को	रिपोर्टिंग की तारीख को	
ए	**पूंजी एवं देयताएँ**			
i	प्रदत्त पूंजी	892.46	892.46	ए
	इनमें से: सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	892.46	892.46	ए1
	इनमें से: एटी1 के लिए पात्र राशि	-	-	ए2
	आरक्षितियाँ एवं अधिशेष	304695.59	292336.68	बी
	इनमें से: सांविधिक आरक्षितियाँ	86939.14	86939.10	बी1
	इनमें से: पूंजी आरक्षितियाँ	16042.86	16029.31	बी2
	इनमें से: शेयर लाभांश	79115.47	79115.47	बी3
	इनमें से: निवेश आरक्षितियाँ	-	-	बी4
	इनमें से: निवेश पुनर्मूल्यन आरक्षितियाँ	7695.95	7695.95	
	इनमें से: विदेशी मुद्रा लेनदेन आरक्षितियाँ	11256.69	11254.56	बी5
	इनमें से: अचल आस्तियों पर पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ	23377.87	23377.87	बी6
	इनमें से: राजस्व व अन्य आरक्षितियाँ	44176.30	38648.66	बी7
	इनमें से: आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत आरक्षितियाँ	15696.96	15696.96	बी8
	इनमें से: लाभ–हानि खाते में बकाया	20394.35	13578.80	बी9
	अल्प मदों पर ब्याज	11207.42	5124.63	
	कुल पूंजी	**316795.47**	**298353.77**	
ii	**जमा राशियाँ**	4087410.60	4088218.56	
	इनमें से: बैंको में जमा राशियाँ	15299.38	15299.38	
	इनमें से: ग्राहकों की जमा राशियाँ	4072111.22	4072919.18	
	इनमें से: अन्य जमा राशियाँ (कृपया स्पष्ट करें)	-	-	
iii	**उधार राशियाँ**	449159.78	449377.30	
	इनमें से: आरबीआई से	24956.00	24956.00	
	इनमें से: बैंको से	157462.64	157462.64	
	इनमें से: अन्य संस्थाओं व एजेंसियों से	193336.92	193554.44	
	इनमें से: अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	-	-	
	इनमें से: पूंजी लिखतें	73404.22	73404.22	
iv	**अन्य देयताएं और प्रावधान**	507517.68	236510.19	
	इनमें से: साख से संबंधी डीटीएल	-		
	इनमें से: अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल	-		
	कुल	**5360883.53**	**5072459.82**	
बी	**आस्तियाँ**			
i	**नकदी व भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष**	**258086.43**	**258014.98**	
	बैंकों के पास जमा तथा अल्प अवधि में मांग पर प्राप्य राशियाँ	**140818.69**	**137475.84**	

(रुपए करोड़ में)

	पूंजी घटक-समाधान संबंधी अपेक्षाएँ चरण 2	वित्तीय विवरण में तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे में तुलन पत्र	संदर्भ संख्या
		रिपोर्टिंग की तारीख को	रिपोर्टिंग की तारीख को	
ii	**निवेश**	1776489.90	1499357.42	
	इनमें से: सरकारी प्रतिभूतियाँ	1285236.81	1197913.42	
	इनमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	35636.87	270.94	
	इनमें से: शेयर	90831.58	12616.55	
	इनमें से: डिबेंचर व बॉन्ड	302009.09	248577.02	
	इनमें से: अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम/ सहयोगी संस्थाएँ	14762.15	10730.36	
	इनमें से: अन्य (कमर्शियल पेपर, म्यूचुअल फंड इत्यादि)	48013.40	29249.13	
iii	**ऋण एवं अग्रिम**	**2794076.00**	**2793712.53**	
	इनमें से: बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	121050.79	121050.79	
	इनमें से: ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	2673025.21	2672661.74	
iv	**अचल आस्तियां**	**39510.03**	**38689.97**	
v	**अन्य आस्तियां**	**350352.46**	**343659.06**	
	जिनमें से: साख	-	-	
	इनमें से: अन्य अमूर्त आस्तियाँ (एमएसआर को छोड़कर)	-	-	
	इनमें से: आस्थगित कर आस्तियाँ	6745.23	6727.74	C
vi	**समेकन पर साख**	**1550.02**	**1550.02**	**D**
vii	**लाभ-हानि खाते में डेबिट शेष**	**-**	**-**	
	कुल आस्तियां	**5360883.53**	**5072459.82**	

चरण 3

(रुपए करोड़ में)

	कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1): लिखतें तथा आरक्षितियाँ	बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए विनियामक पूंजी घटक	संदर्भ सं. (डीएफ़-12: चरण 2 के संबंध में
1	सीधे जारी अर्हक कॉमन शेयर (तथा गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी तथा संबंधित स्टॉक अधिशेष	80007.93	ए1 +बी3
2	प्रतिधारित आय	170887.83	बी1 + बी2 + बी7 + बी8 + बी9 (#)
3	संचित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य आरक्षितियाँ)	18960.96	बी5 * 75% + बी6 * 45%
4	सीईटी1 से कटौती कर सीधे जारी पूंजी (केवल गैर-स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0.00	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा धारित कॉमन शेयर पूंजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)	1783.10	
6	विनियामक समायोजन से पूर्व कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी	271639.82	
7	विवेकशील मूल्यांकन समायोजन	747.37	
8	साख (संबंधित कर देयता को घटाकर)	1550.02	डी

बी7: आय तथा अन्य आरक्षितियाँ, एकीकरण एवं विकास निधि (5 करोड़ रुपए) घटाकर है।

डीएफ़ 13: विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

डीएफ़ 14: विनियामक पूंजी लिखतों के पूर्ण नियम और शर्तें

यह प्रकटीकरण अर्थात डीएफ 13 तथा डीएफ 14 बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in/portal/web/corpore-governance/basel-iii-disclosures पर अपलोड कर दिए गए हैं।

डीएफ़ 15 - पारिश्रमिक के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताएं

लागू नहीं, क्योंकि यह प्रकटीकरण निजी क्षेत्र तथा भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों को करना होता है।

डीएफ -16: 31.03.2021 की स्थित के अनुसार इक्विटी बैंकिंग बही स्थिति के संबंध में प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण		
1	इक्विटी जोखिम के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण में निम्नलिखित शामिल हैं:	
	• ऐसी धारिताएँ जिनमें पूंजीगत लाभ होने की संभवना है तथा संबद्ध एवं कार्यनीतिक कारणों सहित अन्य उद्देश्यों के अंतर्गत ली गई होल्डिंग्स के बीच अंतर;	एचटीएम श्रेणी के सभी इक्विटी निवेश सहायक कंपनियों, अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों(आरआरबी) में किए जाते हैं। यह कार्यनीतिक स्वरूप के होते है।
	• बैंकिंग बही में इक्विटी होल्डिंग के मूल्यांकन और लेखांकन से संबंधित महत्त्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा। इसमें लेखांकन के लिए प्रयोग में लाई गई तकनीकों तथा मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाली प्रथाओं तथा उनमें महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भी शामिल हैं।	एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत रखी गई प्रतिभूतियों को लेखाविधि तथा मूल्यांकन नीति को बैंक की वार्षिक रिपोर्ट की अनुसूची 17 के अंतर्गत दिया गया है।
मात्रात्मक प्रकटीकरण		
1	तुलनपत्र में प्रकट किए गए निवेशों के मूल्य तथा उनके उचित मूल्य; उद्धृत प्रतिभूतियों के लिए, जनता को उद्धृत मूल्यों की तुलना जहाँ उचित मूल्य काफी भिन्न है	रु. 797.14 करोड़
2	निवेश के प्रकार तथा उसकी प्रकृति, इसमें वह राशि भी शामिल है जिसे इस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है:	

विवरण	प्रकार		बही मूल्य (करोड़ में)
सार्वजनिक रूप से ट्रेड किए जाने वाले	अनुषंगियाँ	एचटीएम	2638.63
	सहयोगी	एएफएस	7810.00
	अन्य	एचटीएम	127.00
निजी रूप से धारित	सहयोगी संस्थाएँ, अनुषंगियाँ, संयुक्त उद्यम और अन्य	एचटीएम	8599.14

3	संदर्भित अवधि के दौरान बिक्री एवं परिसमापन से प्राप्त संचयी लाभ (हानियाँ)	0.62 करोड़
4	कुल अप्राप्त लाभ (हानियाँ)13	58.49 करोड़ रुपए (अप्राप्त हानि)
5	कुल अप्रकट पुनर्मुल्यन लाभ (हानियाँ)14	रु. 1427.98 करोड़ (एमटीएम लाभ)
6	टियर 1 तथा/अथवा टियर 2 पूंजी में शामिल उपर्युक्त कोई राशि	38.93 करोड़ रुपए
7	बैंक की पद्धति के अनुसार इक्विटी समूहन द्वारा विखंडित पूंजी, समग्र राशियाँ, एवं उन पर निवेशों का प्रकार, जो किसी पर्यवेक्षी अंतरण या विनियमक पूंजी आवश्यकताओं से संबंधित ग्रांडफादरिंग प्रावधानों के अधीन होते हैं।	निरंक

13 तुलनपत्र में शामिल किन्तु लाभ-हानि खाते में शामिल न किया गया अप्राप्त लाभ(हानियाँ)

14 तुलनपत्र अथवा लाभ-हानि खाते में शामिल न किया गया अप्राप्त लाभ(हानियाँ)

डीएफ़-17: लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र की तुलना का सारांश

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार

	मद	रुपए (मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	53608835.30
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेश के लिए समायोजन जो लेखांकन के उद्देश्यों से समेकित किया जाता हैं, लेकिन नियामक समेकन के दायरे से बाहर है।	-2884237.10
3	परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुसार तुलनपत्र में शामिल की गई काल्पनिक आस्तियों के लिए समायोजन, किंतु इन्हें लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र माप में शामिल नहीं किया जाता है।	-
4	डेरिवेटिव्स वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	544728.80
5	प्रतिभूतियों के वित्तपोषण लेनदेन के लिए समायोजन (अर्थात रेपो तथा इसी प्रकार के प्रत्याभूत ऋण)	24780.70
6	तुलन-पत्र से इतर मदों के लिए समायोजन (अर्थात तुलनपत्र से इतर एक्सपोज़र की समतुल्य राशियों का अंतरण)	5366291.80
7	अन्य समायोजन	-45775.11
8	**लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र (स्टेट बैंक समूह)**	**56614624.40**

डीएफ़-18: लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार

	मद	**रुपए (मिलियन में)**
	तुलन पत्र एक्सपोज़र पर	
1	तुलन पत्र मदें (डेरिवेटिव्स तथा एसएफ़टी को छोडकर परंतु समपार्श्विक सहित)	50724598.20
2	(बेसल III, टियर 1 पूंजी निर्धारण के लिए घटाई गई राशियाँ)	-45775.11
3	कुल तुलन पत्र एक्स्पोज़र (डेरिवेटिव्स तथा एसएफ़टी को छोड़कर) (पंक्ति 1 व 2 का योग)	50678823.10
	डेरिवेटिव एक्सपोज़र	
4	सभी डेरिवेटिव लेनदेनों से संबंधित प्रतिस्थापन लागत (अर्थात पात्र नकद अंतर मार्जिन घटाकर)	117402.50
5	सभी डेरिवेटिव लेनदेनों से संबंधित पीएफ़ई के लिए ऍड-ऑन राशियाँ	427326.30
6	डेरिवेटिव संपार्श्विक के लिए सकल प्रावधान, जहाँ परिचालन लेखा ढांचे के अनुसार तुलन पत्र आस्तियों से घटाया गया हो	0
7	(डेरिवेटिव लेनदेन प्रदान नकद अंतर मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती)	0
8	(क्लाइंट-क्लियर्ड ट्रेड एक्सपोज़र का छूट प्राप्त भाग)	0
9	लिखित ऋण डेरिवेटिव की समायोजित प्रभावी काल्पनिक राशि	0
10	(लिखित ऋण डेरिवेटिव की समायोजित प्रभावी काल्पनिक ऑफसेट तथा एड-ऑन कटौतियाँ)	0
11	**कुल डेरिवेटिव्स एक्सपोज़र (पंक्ति 4 से 10 का योग)**	**544728.80**
	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोज़र	
12	सकल एसएफ़टी आस्तियाँ (नेटिंग को शामिल किए बिना), बिक्री लेखांकन लेनदेन को समायोजित कर लेने के बाद	24780.70
13	(सकल एसएफ़टी आस्तियों के देय नकद एवं प्राप्य नकद की निवल राशि)	0
14	एसटीएफ़ आस्तियों के सीसीआर एक्सपोज़र	0
15	एजेंट लेन-देन एक्सपोज़र	0
16	**कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोज़र (पंक्ति 12 से 15 का योग)**	**24780.70**
	अन्य तुलन पत्र बाह्य एक्स्पोज़र	
17	सकल काल्पनिक राशि पर तुलन पत्र बाह्य एक्सपोज़र	12277457.60
18	(ऋण के बराबर राशियों में बदलने के लिए समायोजन)	-6911165.80
19	**तुलन पत्र बाह्य मदें (पंक्ति 17 तथा 18 का योग)**	**5366291.80**
	पूंजी एवं कुल एक्सपोज़र	
20	टियर 1 पूंजी	3046690.12
21	**कुल एक्सपोज़र (पंक्ति 3,11,16 तथा 19 का योग)**	**56614624.40**
	लीवरेज अनुपात	
22	**बेसल III लीवरेज अनुपात (%) (स्टेट बैंक समूह)**	**5.38%**

डीएफ़-जीआर: समूह जोखिम के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण	
समूह की संस्थाओं के संबंध में* **[विदेश स्थित बैंकिंग सस्थाएँ तथा गैर-बैंकिंग संस्थाएँ]**	
निम्नलिखित पर सामान्य विवरण	
कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाएँ	समूह की सभी संस्थाओ में श्रेष्ठ कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाएँ अपनाई गई हैं।
प्रकटीकरण संबंधी प्रथाएँ	समूह की सभी संस्थाएँ प्रकटीकरण की सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करती हैं।
समूह के भीतर लेनदेन के संबंध में स्वतंत्र कार्य की नीति	वाणिज्यिक शर्तों तथा प्रतिभूतियों के लिए प्रावधान दोनों मामलों में स्टेट बैंक समूह के भीतर किए जाने वाले सभी लेनदेन स्वतंत्र आधार पर किए जाते हैं।
मार्केटिंग, ब्रांडिंग तथा एसबीआई के प्रति चिह्न का साझा उपयोग	समूह की किसी भी संस्था ने एसबीआई के प्रतीक चिह्न का इस तरह से उपयोग नहीं किया है, जिससे जनता में यह संकेत जाए कि साझा विपणन, ब्रांडिंग में उन्हें एसबीआई का निहित समर्थन प्राप्त है।
वित्तीय सहायता का विवरण,# यदि कोई हो	समूह किसी भी संस्था ने समूह की किसी अन्य संस्था को/से वित्तीय सहायता प्रदान/प्राप्त नहीं की है।
समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की अन्य सभी बातों का पालन	समूह जोखिम प्रबंधन नीति के सभी बातों का समूह की सभी संस्थाओं द्वारा दृढ़ता से पालन किया जाता है।

समूह के भीतर किए गए निम्नलिखित लेनदेनों को को मोटे तौर पर 'वित्तीय सहायता' के रूप में माना जाता है #:

क) समूह की एक इकाई से दूसरी इकाई में पूंजी या आय का अनुचित अंतरण;

ख) समूह की संस्थाओं से स्वतन्त्रता की जिस नीति का पालन करना होता है उस नीति का उल्लंघन;

ग) समूह के भीतर हर संस्था की चुकौती क्षमता, तरलता, तथा लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव;

घ) पूंजी के संबंध में या अन्य विनियामक आवश्यकताओं का पालन न करना;

ङ) क्रॉस डिफॉल्ट क्लॉज' को लागू न करना जिससे किसी संबंधित संस्था द्वारा की गई चूक (चाहे वित्तीय या अन्य) को बैंक के अपने दायित्वों की पूर्ति में चूक माना जाता है।

- शामिल की गई संस्थाएँ::

बैंकिंग - विदेश में	गैर-बैंकिंग
भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफ़ोर्निया)	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड
एसबीआई (मॉरीशस) लिमिटेड	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड
पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड
कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके)	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्विसेज प्रा. लि.

31 मार्च, 2022 को वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (जी-एसआईबी) के निर्धारित संकेतकों पर प्रकटीकरण को "कॉर्पोरेट गवर्नेंस" लिंक के अंतर्गत बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर अलग से प्रकट किया गया है।